कुरुक्षेत्र

24 JAN 1957

ग्रामसेवक

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'ग्रामसेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १।) : एक प्रति =)

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजन कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४) : एक प्रति ।=)

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २॥) : एक प्रति ।)

प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। सुन्दर गेट-अप की इस सचित्र पत्रिका का मूल्य ८ आना है। वार्षिक मूल्य २)

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६) : एक प्रति ॥)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] दि स म्ब र १ ९ ५ ६ [अंक २

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार: सुशील सरकार]		
मैंने गांवों में क्या देखा ?	रघुवीर सहाय	२
कोसी योजना में जन सहयोग	के० वी० एकाम्बरम्	५
सम्मेलन और गोष्ठियाँ	....	६
प्रतापनगर में महिला गोष्ठी	ज्योतिकरण चक्रवर्ती	७
बरगढ़ सामुदायिक विकास खण्ड	...	८
गाँवों में प्रचलित पहेलियाँ	मनोहर लाल गर्ग	१०
उत्पादन में कमी और भू-क्षरण	जे० सी० घोष	१२
चित्रावली	...	१५-०८
विकास की कहानियाँ	...	१६
समाज शिक्षा संगठनकर्ता	सत्य	२१
लोक-गीतों में ग्राम जीवन	जुगलकिशोर जरगर विशारद	२२
यह धरती सोना उगलेगी [कविता]	रमाकान्त श्रीवास्तव	२४
किस समय क्या खाएँ ?	सावित्रीदेवी वर्मा	२५
प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यापक के रूप में	पी० वाई० चिन्तामणि	२७
विकास-योजनाओं की प्रगति	...	२६
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :

केशवगोपाल निगम

[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]

उप-सम्पादक : *मनोहर जुनेजा*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन
दिल्ली—८ को लिखें

मैंने गाँवों में क्या देखा ?

रघुवीर सहाय

पिछले कुछ महीनों में मुझे देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का दौरा करने का मौका मिला। मैंने ग्वालियर में डाबरा सामुदायिक योजना क्षेत्र, ज़िला फर्रुखाबाद में महमूदाबाद, चिंगलपट ज़िला में उट्टकोठाई राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, बंगलौर में मल्लायली सामुदायिक विकास खण्ड, दिल्ली के समीप फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का इटावा निर्देशक योजना और ज़िला गुड़गाँवा का दौरा किया।

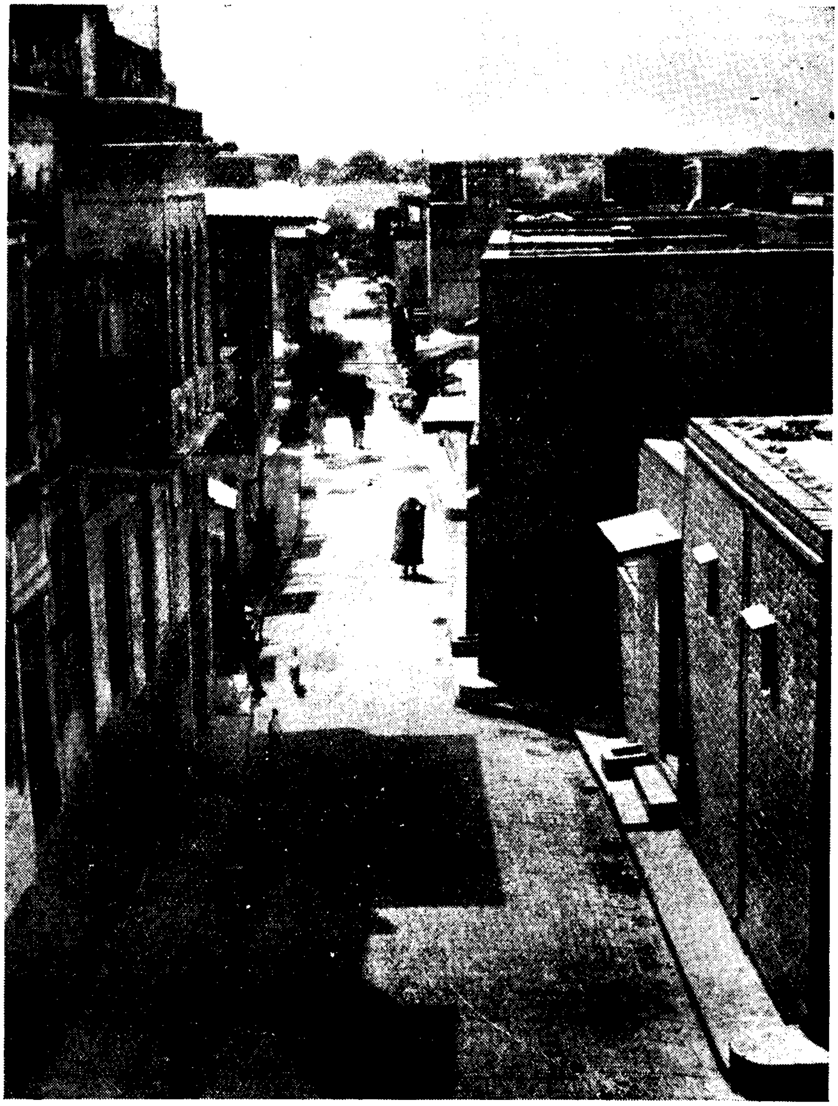

एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के अन्तर्गत गाँव की पक्की गली

देश के इन विभिन्न विकास खण्डों का दौरा मेरे लिए मनोरंजक होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी था। इस दौरे के कारण मैं एक क्षेत्र के कार्य की तुलना दूसरे क्षेत्र के कार्य से कर सका। इस में कोई शक नहीं कि कुछ खण्डों में दूसरे खण्डों की अपेक्षा अधिक काम हुआ है। शायद इन सब खण्डों में काम तो लगभग एक समय ही शुरू हुआ था, परन्तु इसके बावजूद सब में प्रगति की रफ्तार समान नहीं है। किसी खण्ड में सिंचाई और परिवहन के क्षेत्र में अधिक काम हुआ है, तो दूसरों में कृषि विकास पर ही ज़ोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के इटावा निर्देशक क्षेत्र को ही लीजिए मेरे ख्याल में यह सबसे पुराना खण्ड है—इसकी शुरूआत सन् १६४८ में हुई थी। तब से हर वर्ष इस खण्ड पर हर साल काफी रुपया खर्च किया गया है। खण्ड कर्मचारियों की संख्या भी काफ़ी है। बाहर से आनेवाले हर व्यक्ति को यह महसूस करते देर नहीं लगती कि कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। लोग अच्छी किस्म के बीजों को अब पहले से कहीं अधिक इस्तेमाल करते हैं—कृत्रिम खाद भी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल की जाने लगी है। हरी खाद भी अब काफी उगाई जाती है। हल अब पहले से अच्छे हैं और खेती में काम आनेवाले अन्य औज़ार भी पहले से बेहतर हैं। एक सामान्य ग्रामवासी से पूछिए तो वह एकदम आपसे कहेगा—

"अब मैं एक एकड़ भूमि में पहले से कहीं अधिक उत्पादन करता हूँ।" कुछ गाँवों में अब विभागीय देख-रेख में रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े पालने का धन्धा गाँववालों के लिए काफी लाभदायक है। भूमि के कटाव की समस्या का सामना भी अब वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है और लोगों को अब जब वैज्ञानिक प्रणाली समझाई जाती है, तो वे प्रभावित होते हैं। कृषि उत्पादन, भूमि संरक्षण और कृषि औज़ारों में सुधार करने की दिशा में जितना काम इटावा खण्ड में हुआ है, उतना शायद बाकी क्षेत्रों में नहीं हुआ है।

फरीदाबाद योजना क्षेत्र की शुरुआत सन् १९५३ में हुई थी। इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों के विकास पर सबसे अधिक ज़ोर दिया गया है। लोगों को ट्यूबवैल, पम्पिंग सेट और रहट लगाने के लिए लगभग २५ लाख रुपए ऋण में दिए गए हैं। खण्ड के कई गाँवों को अब बिजली मिलने लगी है। इन गाँवों के ट्यूब वैल और रहट बिजली से चलाए जाते हैं। गाँवों में पक्की और कच्ची सड़कें बनाने पर भी काफी ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त गाँवों की गलियों को पक्का करने, नालियाँ खोदने, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, खाद के गड्ढे इत्यादि बनाने पर भी काफी ध्यान दिया गया है।

दक्षिण में (मद्रास और बंगलौर दोनों में) सड़कों के सुधार की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। कुछ सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से मिलाती हैं और कुछ उन गाँवों को मुख्य सड़क से मिलाती हैं। इन सड़कों के कारण गाँववाले शहरों और कस्बों को आसानी से आ-जा सकते हैं और उनकी पैदावार के लिए शहरी मण्डियों के दरवाज़े खुल गए हैं। बंगलौर खण्ड में एक-दो आदर्श गाँवों का निर्माण भी हुआ है। इनमें से एक गाँव तो पहले निचाई पर बसा हुआ था। निचाई पर होने के कारण वहाँ बरसात का पानी जमा हो जाता था जिससे मलेरिया ने वहाँ घर कर लिया था। अब निचले स्थान को तिलाञ्जली दे दी गई है और सारा गाँव एक बेहतर जगह पर बसाया गया है। नई जगह पर गाँववालों ने अपने नए घर खुद बनाए—सरकार ने उन्हें पुरानी जगह छोड़ने का कुछ मुआवज़ा अवश्य दिया। परन्तु हर गाँव के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है। सामान्य गाँववाला बहुत पुराने विचारों का है और अपने गाँव को दूसरी जगह बसाने और अपने मकानों को गिरवाने के लिए आसानी से राज़ी नहीं होता। अपना मकान गिरवाने को वह आम तौर पर तभी राज़ी होता है जब उसमें रहना ख़तरनाक या असम्भव हो गया हो।

महमूदाबाद खण्ड फर्रूखाबाद-मैनपुरी सड़क के दोनों ओर फैला हुआ है। योजना-क्षेत्र में तीन साल में ४६ ट्यूब वैल बनाए गए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में यह उल्लेखनीय प्रगति है। गाँव की सड़कों को पक्का किया गया है और कुछ गाँवों में नालियाँ खोदी गई हैं।

डाबरा खण्ड में यातायात की समस्या काफी कठिन है। इस खण्ड में अन्य कार्यों के अतिरिक्त हमने ३२ मील लम्बी सड़क का निर्माण होते देखा। यह सड़क कुछ तो श्रमदान द्वारा और कुछ मज़दूरी देकर बनवाई जा रही है। जब यह सड़क तैयार हो जाएगी तो पहाड़ी के आरपार जानेवाले लोगों को पहले की अपेक्षा ३२ मील कम फासला तय करना पड़ेगा। इस प्रकार उनका काफी समय बच जाएगा। निस्सन्देह यह एक प्रशंसनीय काम है।

इन दौरों के पश्चात् मैं कई नतीजों पर पहुँचा। जिन क्षेत्रों में कोई प्रशंसनीय या उल्लेखनीय काम हुआ है, उसका श्रेय अधिकतर खण्ड कर्मचारियों को है। निस्सन्देह कुछ कर्मचारियों ने जी-जान से काम किया है, उनके परिश्रम और सफलताओं का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहाँ-जहाँ उल्लेखनीय काम नहीं हुआ, उसका कारण भी खण्ड कर्मचारियों की उदासीनता या पूरी लगन से काम न करना है।

गाँवों के बाहर अथवा घरों के आसपास कूड़ा जमा हो जाने की समस्या सभी जगह एक सी है। इस दिशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। जब तक इस समस्या को ठीक तरह हल नहीं किया जाता, हमारे गाँव साफ़-सुथरे दिखाई नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में आसपास के खेतों के मालिकों को अपने-अपने खेत में गड्ढे खोदने का आदेश दिया जाए। कूड़ा इन गड्ढों में जमा किया जाए। विकास अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि इस कूड़े से खाद बनाने का क्रम चालू रहे ताकि वर्षा शुरू होने से पहले इस्तेमाल करने के लिए गाँववालों को खाद मिल जाए।

गाँवों में फ्लश का टट्टियों का निर्माण उपयुक्त नहीं। लोगों की आदतों को एक दम नहीं बदला जा सकता। परन्तु स्थान-स्थान पर सार्वजनिक मूत्रालय बनाना उचित है। सार्वजनिक कुओं के समीप स्नानागार भी बनाने चाहिएँ, जिनमें स्त्रियाँ भी स्नान कर सकें। जहाँ तक मल त्यागने का सम्बन्ध है, गाँववाले खेतों में जाएँ जहाँ गड्ढे खोदे जाएँ और हर व्यक्ति मल को बाद में मिट्टी से ढक दे। मल के लिए चाहे खाद का गढ्ढा खोदा जाए अथवा दूसरा, लेकिन काम व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए और खेत के मालिक पर इसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी हो। इस चीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा कुछ पुरस्कार भी दिए जाने चाहिएँ।

मुर्गी पालन को कई क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन लाभ कहाँ तक हुआ है, इस चीज़ का अन्दाज़ा अभी नहीं

लगाया जा सकता । मैं मुर्गी पालन के विरुद्ध नहीं हूँ; परन्तु जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है हमें गाँवों में दुग्ध-व्यवसाय को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। उसको ऊँचा उठाने के लिए हमें अधिक दूध, मक्खन और दूध के उत्पादनों की आवश्यकता है। मवेशी पालना और दूध निकालना एक देहाती धन्धा है, परन्तु इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। गाँववालों को अभी इस बात का ज्ञान नहीं है कि मवेशियों को साफ़-सुथरे वातावरण में कैसे रखा जाए, उनको क्या चारा दिया जाए और उनकी छूत की अथवा अन्य बीमारियों से कैसे रक्षा की जाए। हमें यह सब बातें उन्हें अभी सिखानी हैं।

जहाँ तक ग्रामोद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, इधर बहुत कम काम हुआ है। कुछ स्थानों पर कुछ प्रयास अवश्य किए गए हैं, परन्तु गाँवों की विशाल संख्या और उनमें बसनेवाले करोड़ों लोगों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमने किया है वह समस्या को हल करने की शुरुआत ही है।

सामुदायिक विकास योजना-क्षेत्र, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और विकास खण्ड का कार्यकाल इस समय तीन साल है। इस सम्बन्ध में भी लोग लगभग एकमत हैं कि यह कार्यकाल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या लोगों का नैतिक पुनरुत्थान करने के लिए काफी नहीं हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि यह कार्यकाल कम से कम पाँच साल हो जिसमें निरन्तर कार्य करके किसी फल की आशा की जा सकती है।

जब तक गाँवों से गैर-कानूनी ढंग से शराब बनाना, जूआ खेलना, डकैती, चोरी, मवेशियों की चोरी और चोरी से फसल काटने आदि सामाजिक कुकृत्य खतम नहीं कर दिए जाते, तब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पूर्णतया सफल नहीं माना जा सकता। इसके अलावा हमें गाँवों से मुकद्दमेबाज़ी को भी खतम करना है। लोगों में जो भी झगड़े हों, उन्हें वे पंचायतों की सहायता से निपटाया करें।

ठीक प्रकार के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या भी अपर्याप्त है। देहाती स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में काम करनेवाली स्त्रियां हों जो अपना घरबार छोड़ कर गाँवों में जाकर रहें और गाँव की स्त्रियों तक विकास का सन्देश पहुँचाएँ। कुछ गाँवों में वयस्क लड़कियों के लिए हमने कशीदाकारी और दस्तकारी के स्कूल खोले हैं जहाँ उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि की शिक्षा दी जाती है। परन्तु आम तौर पर स्त्रियों की तरफ़ पूरी तरह हमारा ध्यान अभी नहीं गया है। हमें ठीक प्रकार की सेविकाओं को पाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उन्हें वेतन ज़्यादा देना पड़े।

अगर ज़िले में होने वाले सारे विकास कार्य का सर्वेसर्वा ज़िलाधीश को ही रहना है, तो आवश्यक है कि उससे रोज़मर्रा के काम ले लिए जाएँ क्योंकि उसका अधिकतर समय उनमें लग जाता है। विकास कार्य सम्बन्धी अपने कर्त्तव्यों को पूरी तरह निभाने के लिए आवश्यक है कि वह ज़िले के हर क्षेत्र और उसकी आवश्यकताओं से पूरी तरह परिचित हो। यह सब तभी सम्भव है जब वह अपने ज़िले का अच्छी तरह दौरा करता रहे और हर आवश्यक चीज़ के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने की कोशिश करे। सिर्फ़ काग़ज़ी घोड़े दौड़ाने से कुछ काम नहीं बनता।

कोसी योजना में जन सहयोग

के० वी० एकाम्बरम्

[कोसी नदी सदियों से अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए विपत्ति का स्रोत रही है। पर इसे ईश्वरीय प्रकोप समझ अब हम शान्त नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों से कोसी योजना चालू है जिसके पूरा होने पर वहाँ की धरती शस्य श्यामला हो उठेगी। इस कार्य में जनता ने भी सहयोग दिया है—श्रमदान के रूप में। नीचे की पंक्तियों में इसी बारे में कोसी योजना के चीफ़ इंजीनियर श्री एकाम्बरम् के 'भागीरथ' में प्रकाशित लेख के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं — सम्पादक]

तटबन्ध बनाने के काम में एक नया प्रयोग किया गया। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष तथा एक निर्देशक जब चीन गए थे तो वे यह देखकर अत्यन्त प्रभावित हुए थे कि खाली मौसम में वहाँ के खेतिहर मज़दूर बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों में भाग लेते हैं और ऐसा करने से बड़े-बड़े काम बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। कोसी क्षेत्र में भी यह अनुभव किया गया कि फ़सल के बाद खाली बैठे खेतिहर मज़दूरों को काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सेवक समाज ने इस बारे में बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक परीक्षण किए जिनमें अपने गाँवों और खेतों को बचाने के लिए तटबन्ध आदि बनाने में गाँववालों ने हिस्सा लिया। इस काम के लिए पंचायतों द्वारा प्रचार किया गया। प्रत्येक पंचायत को श्रमिकों के अपने-अपने दल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रत्येक दल का एक मुखिया था। प्रत्येक मुखिया को १,००० फुट की पट्टी में काम करने का दायित्व सौंपा गया। यह पहले से ही तय कर लिया गया कि प्रत्येक दल में कम से कम १६० आदमी होंगे ताकि बन्ध लगभग १०० दिन में पूरा हो जाए। करार के अनुसार काम के हिसाब से पैसे देने का निश्चय हुआ। काम के लिए ज़मानत लेने के बजाय सरकार ने उन्हें पेशगी रकम दी ताकि पहली बार वेतन मिलने तक वे अपना गुज़ारा चला सकें। हर सप्ताह उनके द्वारा किया गया काम देखकर उसी सप्ताह पैसे दे दिए जाते थे। कुल मज़दूरी का ९४ प्रतिशत तो मज़दूरों में बाँट दिया जाता था और शेष ६ प्रतिशत सम्बद्ध पंचायत को सामुदायिक कार्य के लिए दे दिया जाता था। इस प्रकार का कार्य 'जन सहयोग' कहा जाने लगा। यह तय किया गया कि नदी के पश्चिमी किनारे पर सात मील, और पूर्वी किनारे पर लगभग सारे का सारा अर्थात् ९ मील तटबन्ध जन सहयोग से बनवाया जाए। पश्चिमी किनारे को चार खण्डों में बाँटा गया। ये खण्ड बनगांव, घूमरा, महादेव मठ और मनौली में रखे गए। १९५५-५६ में पेशगी रकम अधिक उदारता से दी गई—प्रति १,००० फुट के लिए १,००० रुपए। ऐसा प्रबन्ध किया गया कि श्रमिकों को हर पखवाड़े उनकी मज़दूरी मिलती रही।

कोसी योजना में जन सहयोग का सहारा लेने के साथ श्रमदान का भी आसरा लिया गया। भारत सेवक समाज ने अनुभव किया कि किसानों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी मौका मिलने पर निर्माण कार्य में सहयोग देने के इच्छुक हैं। दोनों तटबन्धों पर एक-एक हज़ार फुट के टुकड़े श्रमदान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए रखे गए। यद्यपि यहाँ पर लगातार काम नहीं हुआ; पर विद्यार्थियों, महिलाओं, साधुओं और स्थानीय ग्रामीणों के दल आकर यहाँ समय-समय पर काम करते रहे। सबसे शानदार और अधिक काम किया पूर्वी तटबन्ध पर सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल ने। हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने भी ६,००० फुट लम्बा तटबन्ध बनाया जिसके लिए लगभग ४० लाख घन फुट मिट्टी खोदी गई। लड़कों के काम की दैनिक औसत ५,००० घन फुट थी।

★

देहाती स्त्रियों की समस्याएँ

"योजना निर्माताओं के सामने एक सब से बड़ी समस्या है शहरी और देहाती जीवन में तालमेल स्थापित करना...गाँवों और शहरों के लिए अलग-अलग प्रयत्न करने से सफलता नहीं मिलेगी।......जो कुछ भी विकास कार्य हम करते हैं, उसमें गाँवों और शहरों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।" ये शब्द योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने ग्रामों में महिला कल्याण के सम्बन्ध में अलीपुर में आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी में कहे। इस गोष्ठी का आयोजन भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ और ग्राम महिला समाज ने संयुक्त रूप से किया था और इस में ११ राज्यों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह गोष्ठी एक सप्ताह तक चली।

श्री कृष्णमाचारी ने कहा कि देहाती जीवन और देहाती जनता एक ही चीज़ हैं। इसलिए राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन के कार्यक्रम इतने विशद होने चाहिएँ कि प्रत्येक परिवार विकास कार्य में अपना हिस्सा अदा कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि इस कार्य को चलाने वाले व्यक्ति जनता में से ही हों, बाहर के नहीं। काम शुरू करने के लिए जो बाहरी नेता आते हैं, उन्हें कुछ समय बाद हटा लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना आयोग चाहता है कि गाँवों में विकास मण्डल, ग्राम पंचायतें तथा स्कूल खोले जाएँ ताकि नेता तैयार हो सकें। इन संस्थाओं के बिना तो गाँवों का जीवन और गतिविधि अपूर्ण ही रहेंगे।

श्री कृष्णमाचारी ने बताया कि संगठन के ठीक न होने के कारण अभी तक महिलाओं के कार्य में सफलता नहीं मिली है। इसलिए योजना आयोग ने फैसला किया है कि समाज शिक्षा संगठनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आशा है एक स्कीम के अन्तर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगभग ५,००० समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता और १०,००० ग्राम सेवक गाँवों के विकास कार्य में लग जाएँगे। सौ-सौ गाँवों के खण्ड बना दिए जाएँगे। प्रत्येक खण्ड में एक समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता और ग्राम सेवकों के दो सहायक रहेंगे। गाँवों में होने वाली प्रत्येक गतिविधि में गाँव के हर परिवार का सहयोग मिलना चाहिए और इसी उद्देश्य से योजना आयोग सब महिला संगठनों का सहयोग चाहेगा।

श्री कृष्णमाचारी से पहले डा० सुशीला नायर ने बताया कि गोष्ठी ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

१. राष्ट्रीय विकास-योजनाएँ बनाते समय गृहणियों, खेतों में काम करने वाली और मज़दूरी करनेवाली स्त्रियों की आवश्यकताओं पर पृथक-पृथक् रूप में पहले से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

२. उल्लिखित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि देहाती महिलाओं का गाँव, तहसील, ज़िले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन किया जाए।

३. नेतृत्व के गुण पैदा करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया जाए। शिक्षा का तरीका कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि उससे देहाती इलाकों की स्त्रियों की आवश्यकताएँ पूरी हों।

४. किशोर वय प्राप्त लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गाँवों में अपने भावी जीवन में वे अपना वह भाग अदा कर सकें, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है।

५. जन सहयोग के कार्यक्रमों और देहाती स्त्रियों में नेतृत्व की भावना विकसित करने के लिए अलग राशि सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

६. देहाती इलाकों में स्त्री कार्यकर्त्ताओं की नियमित राष्ट्रीय और प्रादेशिक गोष्ठियाँ विकास-कार्यक्रमों का अंग बन जानी चाहिएँ। इस दिशा में जो समाज सेवी संस्थाएँ कदम उठाएँ, उन्हें सरकार को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

★

दिल्ली कृषक समाज का दो दिवसीय सम्मेलन

हाल में ही दिल्ली कृषक समाज ने किसानों को दो दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जो प्रस्ताव पास किए गए, उनमें दिल्ली राज्य के देहाती इलाकों की समस्याओं के सभी पहलुओं और उनके समाधान पर विचार किया गया।

सम्मेलन ने जो सिफ़ारिशें कीं, उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक सिफ़ारिश में कहा गया कि कुछ टैक्नीकल कर्मचारियों को देहाती इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाए, ताकि दस्तकारी समितियों का उपयुक्त स्थानों पर ठीक से संगठन हो सके। साथ ही स्त्री-पुरुषों को टैक्नीकल शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए।

दूसरी सिफारिशों में कहा गया कि फ़सल को कीड़ों और टिड्डियों के आक्रमण से बचाने के लिए और अधिक सक्रिय पग उठाए जाएँ तथा इस कार्य को करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए फल-

सब्जियों के सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए, बीज योजना चालू की जाए और कृषि-जन्य पदार्थों तथा बीजों के मूल्यों में स्थिरता लाने के प्रयत्न किए जाएँ। सब किस्म की फसलों और सब्जियों के लिए पुरस्कार रखे जाएँ, किसानों को समय पर बीज दिए जाएँ, भू-संरक्षण और वन लगाने की एक योजना चालू की जाए तथा पशुओं के लिए मुफ्त डाक्टरी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए।

★

पंचायतें

समस्त देश में सुदृढ़ स्थानीय स्वायत्त शासन की मांग स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की दूसरी बैठक में की गई। यह बैठक सितम्बर १९५६ को ऊदकमन्दलम् में हुई। परिषद् ने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतों के दो प्रकार के काम होने चाहिएँ—कुछ अनिवार्य और कुछ ऐसे जिनमें वे स्व-विवेक से काम ले सकें। जहाँ तक देहाती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का सम्बन्ध है, उन्हें करने के लिए पहली प्राथमिकता पंचायतों को और दूसरी सहकारी समितियों को दी जानी चाहिए। नगरपालिकाओं को और विशेषकर बड़ी नगरपालिकाओं को सार्वजनिक व्यवसायों से अपनी-अपनी. आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और राज्य सरकारों को, कुछ विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त, ऐसी सेवाओं को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए। नगरपालिकाएँ जो ऋण लें, सरकार को उनकी गारण्टी देनी चाहिए।

★

कृषि के औज़ार

खेती के औज़ारों के सर्वेक्षण करने, राज्यों में इस सम्बन्ध में सलाहकार समितियाँ स्थापित करने और राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण औज़ारों का परीक्षण करने के बारे में कृषि इंजीनियरों और निर्माताओं के दूसरे सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। यह सम्मेलन तीन दिन तक चला। कुछ सिफारिशें इस प्रकार थीं—

खेतों में जाकर सुधरे हुए औज़ारों के ठीक इस्तेमाल का प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक ज़िले में योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति नियुक्त किए जाएँ और चावल की खेती में मशीनी औज़ारों के प्रयोग से सम्बन्धित तथ्यों की जाँच-पड़ताल करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की जाए। सम्मेलन ने सिफारिश की कि चालू सर्वेक्षण कार्य के क्षेत्र को और भी व्यापक किया जाए, अर्थात् दूसरे औज़ारों तथा कृषि की अन्य मशीनों का भी सर्वेक्षण किया जाए।

प्रतापनगर में महिला गोष्ठी

ज्योतिकण चक्रवर्ती

चैत्र की सुहावनी सुबह थी। वसन्त की शीतल समीर मन को प्रफुल्लित कर रही थी। पर मेरा दिल आशंका के कारण धक-धक कर रहा था कि आज के आयोजन में महिलाएँ सम्मिलित भी होती हैं या नहीं। उस दिन हवड़ा सामुदायिक विकास खण्ड की महिलाएँ प्रताप नगर के महिला केन्द्र में एकत्र हो रही थीं। अनेक गाँवों की महिलाओं को आना था और अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करना था। उनके लिए हल्के नाश्ते का भी प्रबन्ध किया गया था। मेरे ऊपर काफ़ी ज़िम्मेवारी थी।

धीरे-धीरे दोपहर हुई और महिलाएं जल्दी-जल्दी घर के काम से निबट कर केन्द्र में आने लगीं। ये महिलाएं हाल्थुबा, जयगाछि, हवड़ा, नगरथुबा, काईपुकुर आदि अनेक गाँवों से आई थीं। दूर के कुछ गाँवों की महिलाओं को उपेन दा कार में ले आए थे।

यहाँ प्रताप नगर के बारे में कुछ बताना असंगत न होगा। प्रताप नगर के अधिकांश निवासी शरणार्थी हैं। कुछ परिवार पिछड़े हुए वर्गों के भी हैं। कुछ तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इन महिलाओं ने स्वेच्छा से अपनी एक समिति बना ली है। स्वभावतः ही वे इसकी गति-विधि में काफ़ी रुचि लेती हैं। सिलाई, कटाई, बुनाई तथा मुरब्बा और पापड़ आदि बनाने के अतिरिक्त यहाँ चटाइयाँ भी बुनी जाती हैं। समिति के कमरे में चटाइयाँ बुनने का केन्द्र खुला हुआ है। यदि पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले तो इस उद्योग के विकसित होने की बहुत सम्भावनाएँ हैं। इस धन्धे से गाँव की महिलाओं को अच्छी आमदनी हो जाती है। चटाइयों की बिक्री भी हाथों-हाथ हो जाती है। यह केन्द्र जेसोर सड़क पर है और इसके चारों ओर ऐसे मनोहारी फूल-पौधे लगे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता।

दोपहर ढलने लगी। महिला गोष्ठी शुरू हुई।

सब से पहले अनिल दा ने गोष्ठी के बारे में कुछ बताया। बताया। इसके बाद उपस्थित महिलाओं को कई दलों में बाँट दिया गया। विचार के लिए कुछ विषय निश्चित किए गए और उनके लिए समय निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक दल ने अपने-अपने प्रधान का चुनाव किया और अलग-अलग स्थानों पर

[शेष पृष्ठ ११ पर]

बरगढ़ सामुदायिक विकास खण्ड

[कुछ दिन हुए सामुदायिक विकास मन्त्रालय के स्वास्थ्य सलाहकार श्री बरकत नारायण बरगढ़ (उड़ीसा) सामुदायिक विकास खण्ड के दौरे पर गए थे। वहाँ पर हुई प्रगति का रोचक वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है — सम्पादक]

उड़ीसा के बरगढ़ विकास खण्ड में २ अक्टूबर १९५३ से काम शुरू हुआ था। उस समय इस खण्ड में २४९ गाँव थे जिनमें १,५४,००० व्यक्ति रहते थे तथा यहाँ ११ ग्राम पंचायतें थीं।

प्रारम्भ में इस खण्ड में चार थाने थे। पर २ अक्टूबर १९५५ को एक थाना इससे अलग कर दिया गया और उस क्षेत्र में एक पृथक् राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड बना दिया गया। इस तरह बरगढ़ खण्ड में १६९ गाँव रह गए जिनमें १,२६,००० व्यक्ति रहते थे। ग्राम पंचायतों की संख्या भी ११ से घट कर ६ रह गई।

जिन दिनों हम इस खण्ड के दौरे पर गए, उन दिनों भारी वर्षा हो रही थी। पर उसके बावजूद हमने अनेक गाँवों का दौरा किया।

चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ

इस खण्ड में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति सन्तोषप्रद है। मैं इन कामों में जनता का उत्साह और सहयोग देख कर दंग रह गया। मैं पिछले ढाई वर्ष में देश का दौरा कर रहा हूँ, पर यहाँ जैसा उत्साह मैंने बहुत कम स्थानों में देखा।

यद्यपि यहाँ की अधिकांश जनता निरक्षर है, तो भी मैंने मातृ-कल्याण और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता का अत्यधिक उत्साह देखा। इन गाँवों में मैंने धुएँ रहित चूल्हे और साफ़ सुथरे शौचालय देखे। हमारे ग्राम सेवक और हैल्थ विज़िटर जो काम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा में मुझे एक गाँव में ५१) रुपए की थैली भेंट की गई। जनता के सामने यह थैली मैंने सिविल सर्जन को दे दी ताकि उस गाँव के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए दवाइयां खरीदी जा सकें। इन गाँवों में महिला क्लब और नवयुवक क्लब स्थापित किए जा चुके हैं।

आजकल इस खण्ड में चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त हैं —

डाक्टर	१	
कम्पाउंडर	१	
हैल्थ इंसपेक्टर	१	
महिला हैल्थ विज़िटर	१	
कुष्ठ सहायक	१	
मिडवाइफ़	२	
दाइयाँ	४	
अस्पताल	१	
औषधालय	५	राजकीय औषधालय १ जिलाबोर्ड औषधालय २ सहायता प्राप्त औषधालय २
मात-कल्याण और शिशुस्वास्थ्य केन्द्र	२	
मातृ-कल्याण उपकेन्द्र	३	
प्राथमिक चिकित्सा और सामान्य इलाज के केन्द्र	३	
चलते-फिरते चिकित्सालय	१	
ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ	४२	

प्रत्येक ग्राम सेवक को दवाइयों का एक बक्स भी दिया गया है।

पीने का पानी

जनता को पीने का साफ़ पानी मिल सके, इस उद्देश्य से ४२ साफ़-सुथरे कुएँ बनाए गए। इनके अतिरिक्त १२० ट्यूब वैल भी बनाए गए हैं, जिनमें कुछ तो जनता ने स्वयं ही बनाए हैं और कुछ राजस्व-विभाग की सहायता से बनाए गए हैं। जन-सहयोग से और अधिक कुएँ बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। केवल जन-सहयोग से ही बहुत से कुओं को सुधारा गया है।

साफ़-सुथरे शौचालय

बहुत से प्राइमरी स्कूलों में और ग्राम सेवकों के क्वार्टरों में साफ़-सुथरे शौचालय बनाए गए हैं। मुझे बताया गया कि अब जनता बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को सुधारने में साफ़-

सुथरे शौचालयों की उपयोगिता समझने लगी है। कई परिवारों ने भी ऐसे शौचालय बनवाने की मांग की है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। अभी तक गाँवों में ८६ साफ़-सुथरे शौचालय बनाए जा चुके हैं।

आदर्श मकान

ग्राम सेवकों के मकान, आदर्श मकानों के रूप में बनाए जा रहे हैं। इन आदर्श मकानों में रोशनी और सफ़ाई का उचित प्रबन्ध है। इनमें ठीक ढंग की नालियां, शौचालय, सोखने वाले गड्ढे (सौकेज पिट्स) बने हुए हैं।

ऐसे आदर्श मकान बनाने के लिए अभी तक जनता और सहकारी समितियों को ४१,६०० रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य

बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण मेलों और त्यौहारों के अवसरों पर सफ़ाई का उचित ध्यान रखा जाता है और खाने की चीज़ों पर भी नियन्त्रण रखा जाता है। अधिक से अधिक लोग हैज़े और चेचक के टीके लगवाएँ, इसका भरसक प्रयत्न किया जाता है।

इस खण्ड के सारे इलाके को राष्ट्रीय मलेरिया निरोध कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। डी० डी० टी० छिड़का जा चुका है।

बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० का टीका लगाने का आन्दोलन भी इस खण्ड में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

इस खण्ड में कुष्ठ काफ़ी फैला हुआ है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग ३ प्रतिशत जनता इस रोग से ग्रस्त है। सरकार ने इस वर्ष जुलाई से इस खण्ड में एक कुष्ठ सहायक नियुक्त किया है और रोगियों का इलाज किया जा रहा।

अध्यापक विद्यार्थियों में साफ़ रहने की आदत डाल रहे हैं। बहुत से स्कूलों में हर सप्ताह सफ़ाई का निरीक्षण किया जाता है।

बच्चों और किसानों के मेलों में सिनेमा, फिल्मों, पोस्टरों, चार्टों और गोष्ठियों तथा प्रदर्शनियों द्वारा गाँव वालों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा, साधारण बीमारियों के इलाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में खण्ड के मुख्यालय में प्रति सप्ताह एक निश्चित दिन आठ घण्टे तक प्रशिक्षण-श्रेणी लगती है। अब तक दो दल अपना प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं। तीसरा दल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। इसमें स्कूलों के ८० अध्यापक हैं।

जिन चार गाँवों में हम गए, उन सबको जाने वाले रास्ते अत्यन्त खराब अवस्था में थे। दरअसल उस समय तो वे नाले जैसे बने हुए थे, जिनमें पानी बह रहा था। कई स्थानों पर तो पुल-पुलिया आदि बनाने की तत्काल आवश्यकता है। हमारी जीप को रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा। मुझे बताया गया कि गाँवों को जाने वाली प्रायः सभी सड़कों का यही हाल है। जब तक इन सड़कों को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक वर्षा ऋतु में या उसके बाद, आवश्यकता पड़ने पर डाक्टरी सहायता पहुँचाना कठिन है। मैंने वहाँ जनता में जो उत्साह देखा, उसे देखते हुए मेरा यह विचार है कि सड़कें आदि ठीक करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी।

जो अशिक्षित घरेलू दाइयां आजकल प्रसव आदि का काम करती हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था का विस्तार करने की आवश्यकता है।

सन्तति नियमन के बारे में शिक्षा और उसके तरीके मातृ-कल्याण और शिशु कल्याण केन्द्रों में बताए जाने चाहिएँ। इस काम में मेडिकल संस्थाओं के चिकित्सकों व सार्वजनिक स्वास्थ्य के कर्मचारियों की सहायता ली जानी चाहिए। आजकल इस खण्ड के कुछ गाँवों में स्त्रियों की साक्षरता कक्षाएँ चल रही हैं और महिला मंडलों का विकास किया जा रहा है। इनमें भी सन्तति नियमन का प्रचार करना चाहिए। कुष्ठ निरोध कार्यक्रम में भी और गतिशीलता लाने की आवश्यकता है।

जिन घरों में ज़मीन है, उन सब में साफ़-सुथरे शौचालय बनाने के प्रयास किए जाने चाहिएँ। जनता के उत्साह को देखते हुए यह काम कठिन नहीं है।

गाँवों में प्रचलित पहेलियाँ

मनोहरलाल गर्ग

गाँवों में प्रायः रात्रि के समय जाड़ों में चौपाल पर बहुत से बालक इकट्ठे हो जाते हैं और बैठ कर आँच तापते हैं। वे बालक या तो एक दूसरे से बड़ी-बड़ी कहानियां सुनते-सुनाते हैं अथवा छोटी-छोटी पहेलियों का उत्तर पूछते हैं। यहाँ हम ऐसी ही छोटी-छोटी कुछ पहेलियां प्रस्तुत करते हैं। इन पहेलियों के उत्तर देने में बालकों को कुछ सोचना पड़ता है और जब उत्तर देने वाला बालक सोच-विचार के पश्चात् उत्तर देने में असमर्थ रहता है तो वह प्रश्न पूछने वाले बालक से कुछ अता-पता बतलाने के लिए प्रार्थना करता है। अब राम मोहन से एक पहेली पूछता है--

राम—अच्छा भाई मोहन बताओ मेरी पहेली।

मोहन—पूछो।

राम—अड़ीती खड़ीती नौलाख मोती जड़ीती, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ीती। खूब सोच-समझ कर बताना।

मोहन—(कुछ देर सोचने के पश्चात्) कुछ अता-पता बताओ?

राम—खेतों में अनाज की बालों में से है।

मोहन—अच्छा समझ गया। अरे, भुट्टा है!

राम—ठीक है। अच्छा अब तुम पूछो।

मोहन--थार भरे मोती चारों तरफ कू हिलें, पर एकू नां गिरें।

राम—अभी बताता हूँ।

मोहन—जल्दी बताओ, इतनी देर तो हो गई।

राम—आसमान के तारे हैं।

मोहन—बिलकुल ठीक। अच्छा! सीता अब की बार तू पूछ।

सीता--कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तुम सब सोचो और देखें पहले कौन बताता है।

मोहन--मैं बताऊँ?

राम--मैं बताऊँ?

सीता--अरे शोर क्यों करते हो, अच्छा मोहन पहले तू बता।

मोहन--कच्चा गोला!

सीता--खूब बताया। मोहन किसी से सुन तो नहीं लिया?

राम--अच्छा मोहन बताओ कच्चा गोला कैसे हुआ?

मोहन--देखो गोले का सब से ऊपर का हिस्सा कितना कालापन लिए होता है और अन्दरवाला हिस्सा कितना सफ़ेद होता है।

राम—ठीक है। अब मैं सीता से पूछता हूँ --
बाबा सोवें जा घर में, टांग पसारें बा घर में।'

सीता—राम कोई हल्की-सी पहेली पूछ।

राम--बहुत सरल है। थोड़ा सोच तो सही।

सीता--राम कुछ अता-पता दो।

राम--अँधेरे में काम आता है।

मोहन--मैं बताऊँ, मैं बताऊँ?

राम—नहीं सीता बताएगी।

सीता—दीपक!

राम—ठीक है। अच्छा एक और बताओ। ठीक-ठीक बताना—
एक जिनावर ऐसा, जिसकी दुम पर पैसा।

सीता—(थोड़ी देर सोचकर) मोर!

राम— अब की बार तो बहुत जल्दी बता दिया। अच्छा मोहन, अब हरि को बताने दे। पीली पोखर, पीलई अंडा; बता नहीं तो मारूँ डंडा।

हरि—अरे इसमें क्या है? यह तो बहुत सरल है।

राम—फिर बताता क्यों नहीं।

हरि—कढ़ी की पकौड़ी है।

राम—(हँस कर) मालूम होता है तुम्हें पहले से पता था।

हरि—बिलकुल नहीं। अच्छा तो अब मैं पूछता हूँ और तू बता दे तो शर्त रही--एक जिनावर ऐसा, अन्न खाए नहीं, पानी पीए नहीं, कहो कृष्ण जी कैसे जिए? और देख अता-पता भी बताए देता हूँ। पानी में रहता है।

राम—बताऊँ! बताऊँ! मेंढक!

हरि—(हँस कर) ठीक है। अच्छा अबके एक और बता। अब की बार अता-पता नहीं बताऊँगा।

राम—पूछ।

हरि—एक डिबिया में रतन जड़ी जाए, दिल्ली में खबर हो जाए।

राम—इत्र है।

हरि— मैंने तभी कहा था कि अब की बार नहीं बता सकोगे। अरे, हींग है। अच्छा शीला अब तू बता, तू कैसे चुपचाप बैठी है।

शीला—पूछ।

हरि—सोच कर बताना--अंगा छै अंगा छै, पानी में बबूला छै।

शीला—(सोच कर) इसका मतलब यह है कि यह शरीर पानी के बबूले की तरह नष्ट हो जानेवाला है। इसको तो हम लोग कबड्डी खेलते समय कहते हैं। तुमने इस समय खूब

पूछा। अच्छा तो मैं तुम सब से पूछती हूँ—इत गई, बित गई, एक कौने ते आय लगी।

हरि, मोहन, राम—(सब सब एक एक साथ) मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं ?

शीला—हरि, तू बता।

हरि—लठिया।

शीला—राम ने बता दी दीखे।

हरि—नहीं तो, अच्छा तू मेरी एक पहेली और बतादे—

कारे कारे बैंगना टिपारे भरे जांय, राजा मांगे मोल मोसे दीये हू न जांय।

शीला—यह तो मुझे मालूम थी। आँख की पुतली है।

हरि—ठीक है अरी कोई मुश्किल-सी पूछ।

शीला—आओ रे लड़कों पुल पै चढ़ैंगे, मूड़ मुड़ा कै नीचे गिरेंगे।

हरि—अब की बार कुछ अतां-पता बतां।

शीला—सफ़ेद-सफ़ेद होती है और जाड़े के दिनों में अधिकतर आती है।

हरि—(सोच कर) कुछ और बता।

शीला—जाड़े में रजाई के काम आती है।

हरि—कपास है। अच्छा एक आखिरी मुझे पूछ लेने दे—

छोटी-सी कुलिया, छिपक चना, बेग बता नहीं तो मारूं घना।

शीला—बताऊं, बताऊं, दाँत हैं!

हरि—(हँस कर) बिलकुल ठीक। अच्छा समय बहुत हो गया है अब घर चलना चाहिए। कल मैं तुम सब से ऐसी पूछूंगा जो तुम बता ही नहीं पाओगे।

(सब बच्चे बड़े प्रसन्न होते हुए घर को चल देते हैं)

★

प्रतापनगर में महिला गोष्ठी — [पृष्ठ ७ का शेषांश]

बैठ कर समस्याओं पर विचार करना शुरू कर दिया। इस गोष्ठी की एक विशेष बात यह थी कि विभिन्न गाँवों की समितियों की सदस्याओं ने और उपस्थित अन्य महिलाओं ने अलग-अलग दलों में बँट कर इन समस्याओं पर विचार किया और उनके हल करने के उपाय सुझाए। मैंने उन्हें गोष्ठी और बैठक का अन्तर समझाया।

हम ग्राम सेविकाओं और अध्यापिकाओं ने भी दलों में बँट कर विवाद में भाग लिया।

इसके बाद बैठक शुरू हुई। हमारे नर्सिंग केन्द्र की सुरामा दीदी ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में प्रत्येक दल के प्रधान ने सामुदायिक विकास में महिलाओं की मुख्य समस्याओं पर अपनी लिखित रिपोर्ट सुनाई और सम्भावित हल सुझाया। बैठक में दो घण्टे तक विचार-विमर्श हुआ, जिसमें सभी महिलाओं ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया। विचार के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव उनके सामने पेश किए गए:—

१. महिलाएँ कुछ धन कमा सकें, इनके लिए लाभदायक घरेलू उद्योग शुरू किए जाएँ।
२. गाँवों में बनी चीज़ों की बिक्री की व्यवस्था की जाए।
३. पीने के पानी के लिए और अधिक नलकूपों की व्यवस्था की जाए।
४. कई बार पुरुषों ने स्त्री शिक्षा और महिला संगठनों की गतिविधियों के प्रति असन्तोष प्रकट किया है। इसलिए यह विचार है कि स्त्री संगठनों की बजाय पुरुषों के रात्रि-स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाए।
५. प्रौढ़ महिलाओं में साक्षरता प्रसार के लिए अधिक पुस्तकों और अन्य सामग्री की व्यवस्था की जाए।
६. समिति को और अच्छी तरह चलाने की व्यवस्था की जाए।
७. नारी-स्वास्थ्य और शिशु कल्याण के सम्बन्ध में गाँव की महिलाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए।
८. प्रशिक्षित दाइयों की व्यस्था की जाए।

लगभग सभी दल इन प्रस्तावों में सुझाए गए हलों के बारे में एक मत थे। अध्यक्ष के भाषण और कन्याओं के गान के बाद गोष्ठी विसर्जित हुई।

★

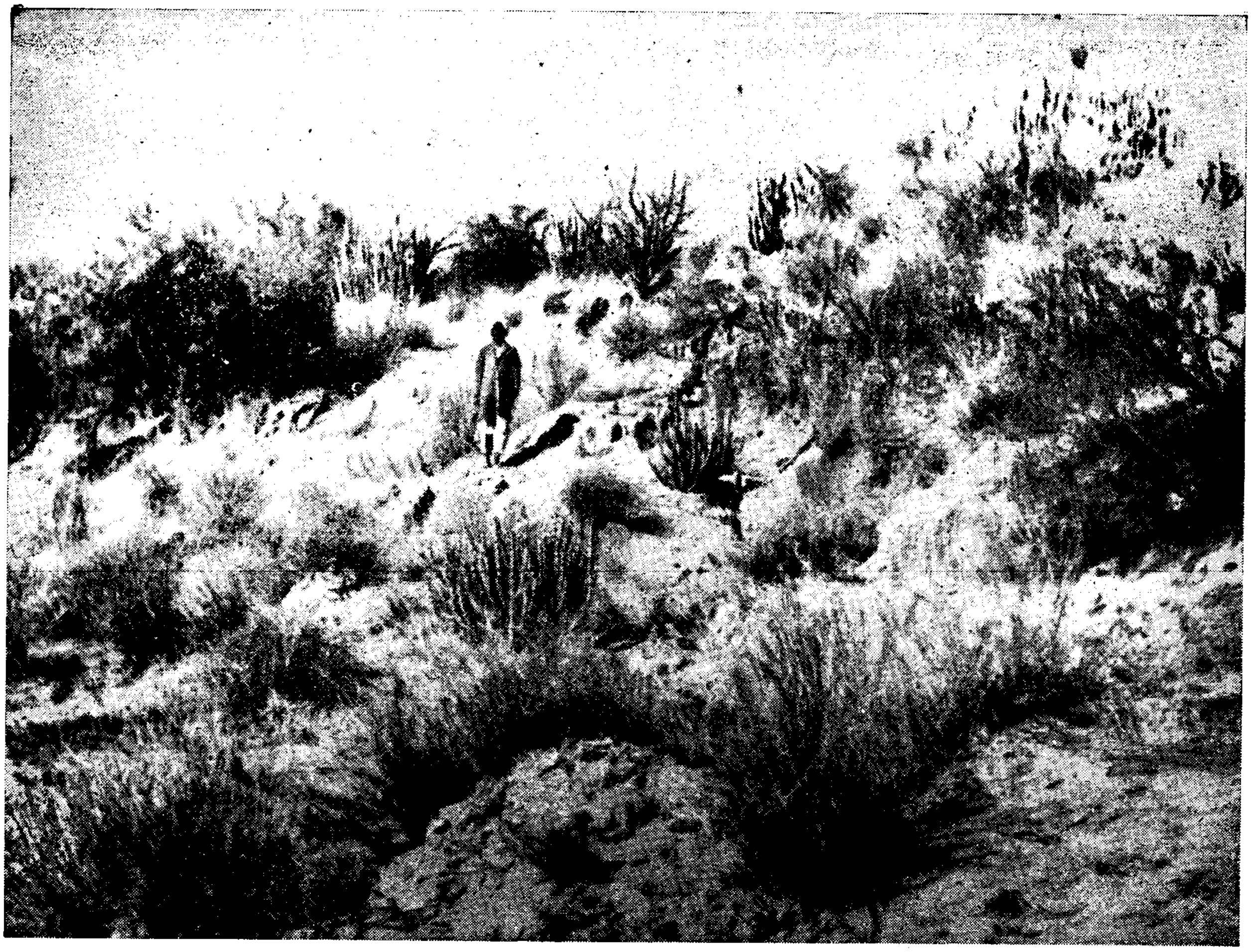

राजस्थान का भयंकर मरुस्थल

उत्पादन में कमी और भू-क्षरण

जे० सी० घोष

आदि कवि वाल्मीकि ने, रामायण में राम के अयोध्या से बनवास गमन के प्रसंग में लिखा है—

आसीत् रामशोकार्तः निःस्तब्धमपि पादपम् ।

कवि गुरु ने पेड़-पौधों को भी करुणा से ओत-प्रोत बताया है, मानो वे भी प्राणी-समूह के अंग हों। महाकवि कालिदास ने भी अपने अमर नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में तपोवन को शकुन्तला के दुख से दुखित बताया है।

अपनी सभ्यता के आरम्भ से ही हम पेड़-पौधों को प्राणी समूह का ही एक अंग मानते आए हैं। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने वन महोत्सव समारोह आन्दोलन चलाकर इस दिशा में राष्ट्र की बड़ी सेवा की है।

अब हम इस ओर से बेख़बर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में पाठशालाओं के साथ खेती के लिए ५ एकड़ ज़मीन रखने का एक नियम बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्रामीण जूनियर हाई स्कूल के साथ १० एकड़ ज़मीन रख रही है, और इन स्कूलों में कृषि के आधुनिक ढंगों का अध्ययन अनिवार्य विषय बना रही है।

भारत में हमारी समस्याएँ बहुत गम्भीर हैं। हज़ारों वर्ष से प्रकृति ने ज़मीन की ऊपरी अच्छी सतह बनाई थी। अब उसका

तेज़ी से क्षरण होता जा रहा है। इसके साथ-साथ पौधों की खुराक भी कम होती जा रही है, जिसके कारण पैदावार में कमी हो रही है। हर साल नदी-नालों के किनारे और मुहानों के आसपास की उपजाऊ ज़मीन काफी नष्ट हो रही है। इससे नदियाँ काफी उथली होती जा रही हैं और उनमें भीषण बाढ़ें आती हैं। बिजली-घर और सिंचाई के लिए नहरें बनाने के लिए नदियों पर जो बाँध बनाए गए हैं, वे बहुत अधिक समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि नदी-नालों से आने वाला रेत आदि उनके जलाशयों में जमा होता जाता है। जिन स्थानों में पेड़-पौधे काट दिए जाते हैं, वहाँ पानी की सतह गिर जाती है। इससे कुएँ में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं रह पाता। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पैदावार बहुत कम है। चीन में ६० करोड़ जनसंख्या के लिए २७ करोड़ ५० लाख एकड़ ज़मीन में प्रति व्यक्ति उससे कहीं अधिक अन्न की पैदावार है जितनी भारत में ३८ करोड़ जनसंख्या के लिए २५ करोड़ एकड़ में होती है।

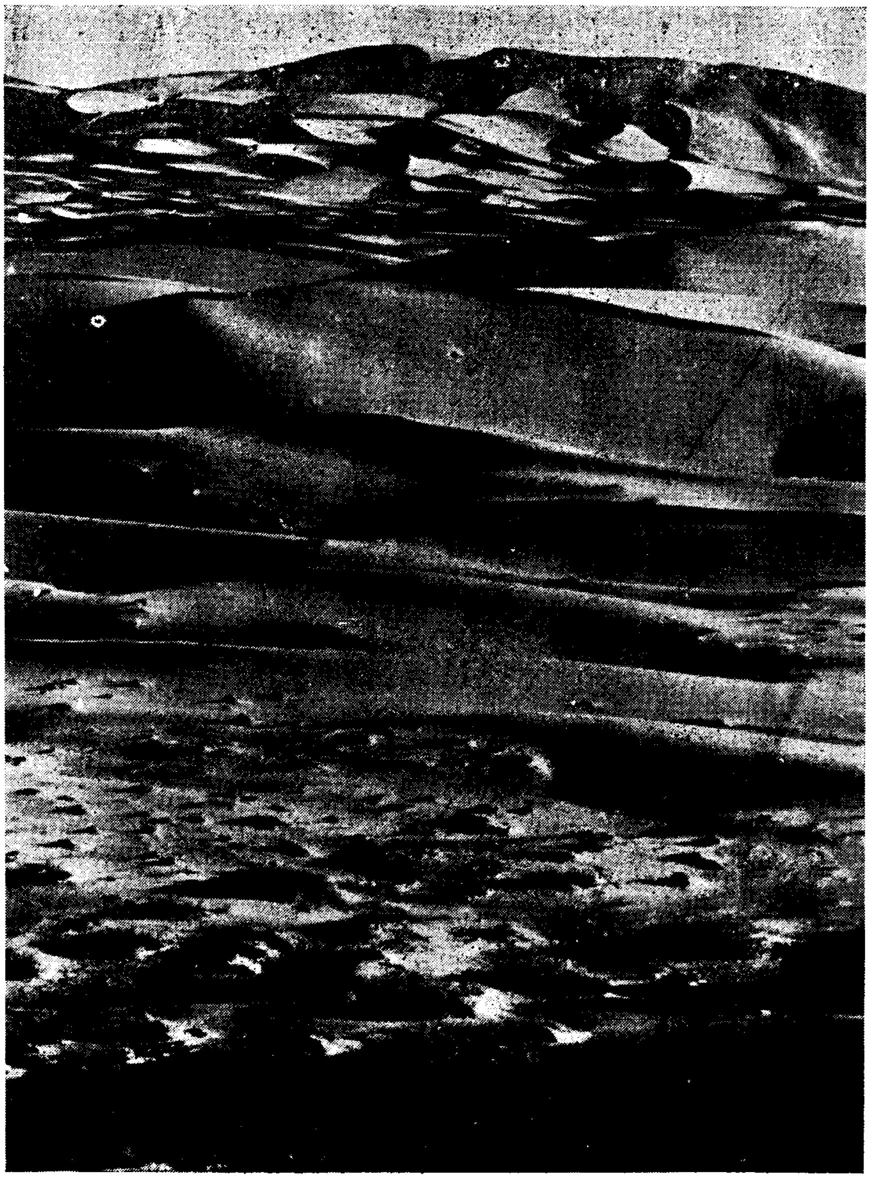

भू-क्षरण को न रोकने का भयंकर परिणाम

भू-संरक्षण समिति और अन्य संस्थाएँ भू-संरक्षण सम्बन्धी बातों में लोगों के मत को बदलने में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। तात्कालिक महत्त्व की योजनाओं के लिए दूसरी योजना में २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण काम केन्द्रीय भू-संरक्षण मण्डल की स्थापना करना है। यह मण्डल, केन्द्रीय कृषि मन्त्री, डा० पंजाब राव देशमुख की अध्यक्षता में पिछले ढाई साल से काम कर रहा है। प्रसन्नता की बात है कि मण्डल कुछ गवेषणा-शालाएँ खोल चुका है। गवेषणा-शालाएँ ये हैं-(१) शिवालिक और हिमालय में भू-क्षरण की समस्या की जांच करने और प्रौद्योगिक योजना बनाने के लिए देहरादून में, जिसका उपकेन्द्र चण्डीगढ़ में है; (२) नदी के किनारों के भू-क्षरण की समस्या सुलझाने के लिए कोटा में, जिसका उप-केन्द्र आगरा में है; और नदियों के मुहाने की भूमि का अध्ययन करने के लिए वासद में, तथा (३) भू-क्षरण के अध्ययन के लिए बेल्लारी (मैसूर) और ऊटकमन्दलम् में।

प्रत्येक राज्य को भू-संरक्षण मण्डल बनाने के लिए सहायता दी जा रही है और उनके सहयोग से एक समन्वित कार्यक्रम बनाया

जा रहा है।

दूसरी योजना में ३० लाख एकड़ से अधिक ज़मीन को कृषि योग्य बनाने और सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम के लिए हमें हज़ारों शिल्पिक तथा अन्य कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनके अलावा जब फसल का मौसम न हो तब अनेक श्रमिक रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी।

अकाल रोकने के लिए खेतों में मेंढ़ें बाँधना सबसे उपयुक्त है। अनुभव से पता चला है कि जो खेत वर्षा पर निर्भर करते हैं, वहाँ मेंढ़ें बाँधने से २५ प्रतिशत उपज बढ़ी है। इससे कुओं में पानी की सतह में भी वृद्धि हुई है।

यह बात विचारणीय है कि ६० रुपए प्रति एकड़ के खर्च से २५ प्रतिशत उपज बढ़ जाती है, जबकि बड़ी सिंचाई योजनाओं में कम से कम ३०० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च होता है। भू-संरक्षण में विदेशी मुद्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती और फसल का मौसम न होने के कारण खाली रहने वाले ग्राम मजदूरों से ही काम चल जाता है।

दूसरी योजना में भू-संरक्षण मण्डल को २६ करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने अपने पहले २५ साल में जितना खर्च किया है, यह राशि उससे कई गुनी अधिक है। भू-संरक्षण के काम के लिए तत्काल आदेश और तत्काल काम की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि यह मण्डल और राज्यों में इसकी शाखाएँ स्वायत्त संस्थाओं के ही रूप में काम करें, तो अच्छा है।

भारत में रेगिस्तान का बढ़ना भी एक समस्या है। रेगिस्तान के फैलाव को रोकने की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में गवेषणाशाला खोली जा चुकी है। आंधी को रोकने के लिए किनारे-किनारे पेड़ लगा दिए गए हैं। यूनेस्को ने फिलस्तीन में रेगिस्तान को रोकने के लिए प्रशंसनीय काम किया है। उन्होंने जो तरीका वहाँ अपनाया, वही भारत में भी अपनाया जा सकता है। फिर, सहारा रेगिस्तान में खनिज तेलों की खोज में खुदाई करते समय अनेक स्थानों से पानी भी मिला है। प्राकृतिक साधन मन्त्रालय ने जैसलमेर में खुदाई करके खनिज तेलों का पता लगाने की एक योजना बनाई है। भू-संरक्षण मण्डल उनके साथ सहयोग करके राजस्थान में पानी की खोज कर सकता है।

पिछले दो वर्षों में देश के अनेक भागों में भीषण बाढ़ें आईं। पिछले साल बाढ़-पीड़ितों की सहायता में १० करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस साल और भी अधिक खर्च होगा। बाढ़ नियन्त्रण के स्थायी प्रबन्ध करने के लिए पहली योजना में ८ करोड़ रुपए की और दूसरी योजना में ६० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बाढ़ की समस्या का एक मुख्य हल यह है कि बरसाती पानी को नंगी ज़मीन के बदले पेड़-पौधों से भरी ज़मीन में बहने दिया जाए। इसके लिए पहाड़ों की ज़मीन और मैदानों में नदी के किनारे घने जंगल उगाए जाएँ। प्रसन्नता की बात है कि दामोदर और उसकी सहायक नदियों के ऊपरी हिस्से में इस काम के लिए दूसरी योजना में ७५ लाख रुपए दिए गए हैं।

ज़मीन में खाद देना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दुर्भाग्यवश भारत में २२ करोड़ ५० लाख टन गोबर ईंधन के काम आता है। खाद की इस बरबादी को हमें बचाना चाहिए। दूसरी योजना में उपज बढ़ाने के आन्दोलन में मनुष्यों और मवेशियों के मल की खाद तथा हरी खाद की योजनाओं पर विशेष ज़ोर दिया गया है। भारत में दिक्कत यह है कि यहाँ के लोग मल आदि को अपवित्र मानते हैं और और उसे छूते तक नहीं। आप लोग ही उन्हें खाद का महत्त्व बताकर इस रूढ़ि प्रेम से छुड़ा सकते हैं।

विनोबा जी की प्रेरणा से, भूमिहीन श्रमिकों के लाभ के लिए काश्तकार तक अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा राज्यों को दे रहे हैं। भूदान अन्दोलन से अब तक कई लाख एकड़ भूमि राज्य सरकारों को प्राप्त हो चुकी है। यह उचित है कि इसमें से जो भूमि थोड़े ही पैसे से सींची जा सकती है, उसे भूमिहीन श्रमिकों को दिया जाए। बाकी को कृषि योग्य बनाया जाए। जिन स्थानों में बाँस आदि लाभदायक पेड़-पौधे हैं, वे स्थान राज्य सरकारों के आर्थिक विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आशा है कि भू-संरक्षण मण्डल, वन विभाग के सहयोग से काम करेगा और राज्यों को इस विषय पर उचित सुझाव देगा।

भू-संरक्षण के माने ज़मीन को केवल क्षरण से बचाना ही नहीं है, जहाँ पानी अधिक है, वहाँ नालियाँ बनाना और जहाँ सूखा है, वहाँ सिंचाई के लिए पानी देना भी है। जहाँ खाद की कमी है वहाँ रासायनिक तथा अन्य प्रकार की खाद भी पहुँचाना है। भू-संरक्षण का काम ज़मीन को निरन्तर उपजाऊ रखना ही नहीं है, बल्कि उसे अधिकाधिक उपजाऊ बनाना भी है।

[भारतीय भू-संरक्षण समिति के पाँचवें सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए गए भाषण का सारांश]

★

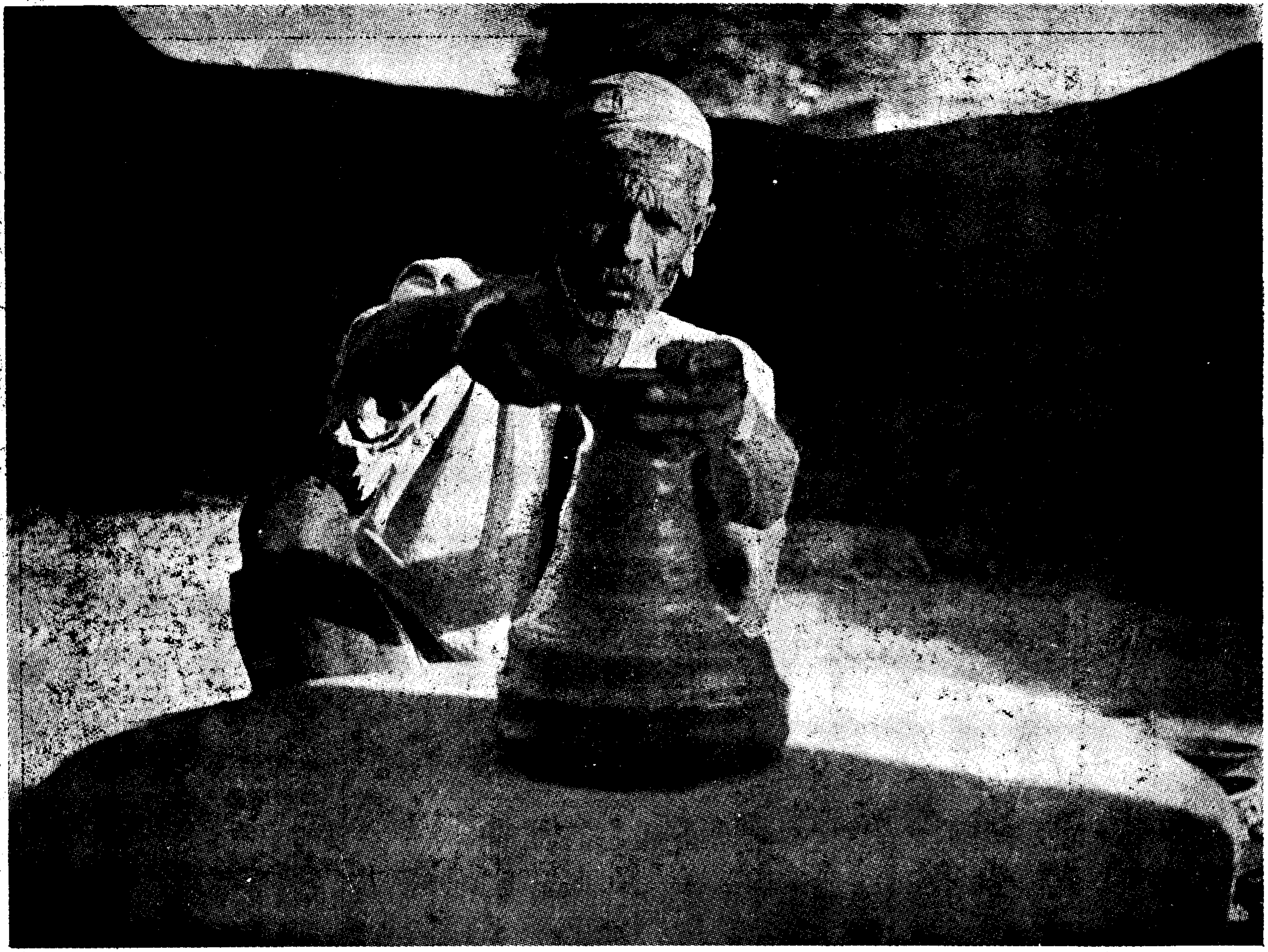

अनुभवी-हाथ

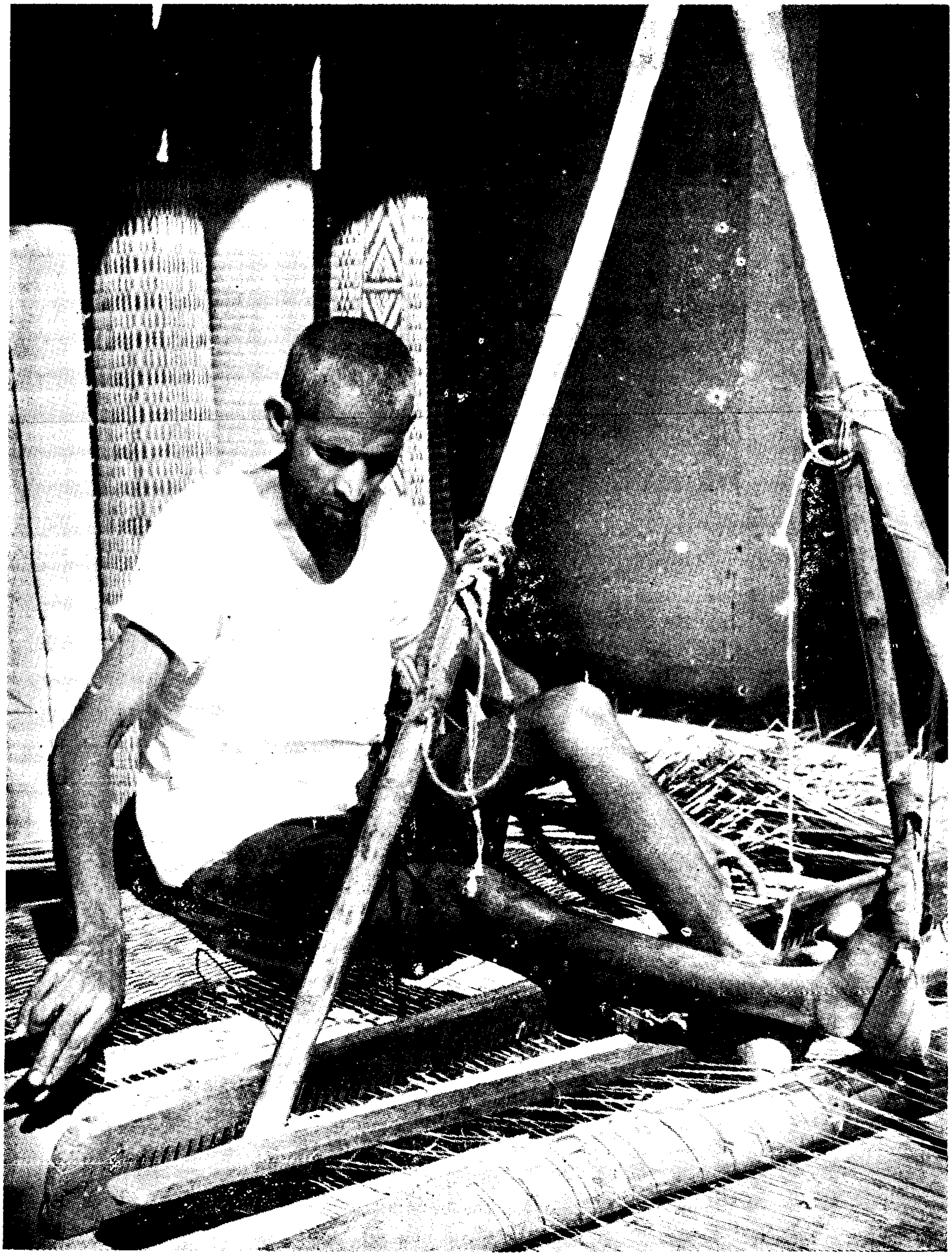

श्रमिक की मुस्कान

विकास की कहानियाँ

: १ :

एक वर्ष पूर्व की बात है। खण्ड कार्यालय की ओर से समस्त ग्राम सेवकों को यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक हल्के में एक-एक बहुधंधी सहकारी समिति बनाई जाएगी तथा हिस्से की पूंजी का दस गुना तक सदस्यों को कर्ज़ के रूप में दिया जा सकेगा। फलतः मोहनलाल शुक्ल ने शायं ग्राम के मुखिया के साथ अन्य भद्र पुरुषों की एक सभा आयोजित की। ज्यों ही लोगों को बतलाया कि १०-१० रुपए के हिस्से खरीदने वालों को १० गुना तक कर्ज़ मिल सकेगा तो एक कोने में बैठे एक वृद्ध ने धीरे से कहा कि यह भी एक सरकारी चाल है। पहले बदमास लोग ही ग्रामीण जनता को धोखा देकर रुपया लेकर भाग जाते थे और अब सरकारी मुलाजिम भी यही करने जा रहे हैं। भला सरकार को क्या फायदा है कि १० रुपए पर १०० रुपए कर्ज देगी और ब्याज भी नहीं लेगी।

"नहीं ऐसी बात नहीं है। सरकार अपनी है और वह अब आप लोगों को हर प्रकार से साथी बनाना चाहती है। अब इस योजना से आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए।" ग्राम सेवक ने कहा।

"अब दादू चुप रहा। हमहू जानित हैं कि पहिले तकावी मिली रही तौ पटवारी खाय परान लिहिन और रोज रोज बकाया बकाया चिल्लात रहे। कौनउ तरह उह दर की पटैन तौ इया बाइस किसिम ससाइटी केर आवा। न दादू, एह तरह से न हम का बरबाद करा और इतनी दया कहउं अन्तइ दिखावा।" तेजबली सिंह ने कहा।

अब क्या था। सब लोग तितर-बितर हो गए। पर शुक्ल का उत्साह कम नहीं हुआ। अब उसने एक-एक करके लोगों का पीछा करना आरम्भ किया और आखिर कार राम प्रसाद जी के हाथ २० रु० के दो शेयर बेच ही दिए। सहकारिता के दो साथी डट गए और दिन-रात परिश्रम करने से २०० रुपए के हिस्से बेच दिए। फिर भी लोगों के मुँह से यही सुनाई पड़ता रहा कि एक लगावै १० पावै, न पावै तो मुहें करखा लगावै।

सदस्यों को दस गुना रुपया कर्ज़ दिया गया और जब लोगों को दिन प्रति दिन फायदा होने लगा तो सदस्यों की संख्या रोजबरोज बढ़ती गई और आज क्षेत्र के हिस्से की पूंजी ४५०० रुपए तक पहुँच गई है।

: २ :

"हमने सुना है कि चिर्नी वाली खाद धान को बहुत फायदा पहुँचाती है, मुखिया!" बद्री ने पूछा।

"सुनेन तो हमहूँ हैं पर दादू राम जाने बिछुरहटा वाले कहत रहें कि पर साल खेत मा डरतै सब खेत के धानिन जरि गैं। अरे आसौ तौ दुबे जी १०० बोरा तक उहै खादी लै आएन हैं। भला काहे?" मुखिया ने जवाब दिया।

दूसरे दिन एक तरफ़ दुबे जी ने गाँव के बड़े-बड़े लोगों के यहाँ जाकर खाद की उपयोगिता पर प्रकाश डाला, दूसरी तरफ़ लल्लू ने अपनी खबर जा फैलाई। अब क्या था, लोग सुनते और भुला देते। कोई अपना खेत प्रदर्शन के हेतु भी देने को तैयार न हुआ। आखिरकार इस शत पर कि नुकसान के पूरे देनदार ग्राम सेवक होंगे, लल्लू ने अपना सड़क वाला खेत प्रदर्शन के लिए दे दिया। गाँव के सभी सम्मानित किसान आमंत्रित किए गए और उन्हीं के सामने ग्राम सेवक की झोली से ही खाद छींटी गई। केवल चार दिन में ही रंग बदल गया। लोग

खाद की तलाश में श्री दुबे के पीछे चक्कर काटने लगे। अब ग्राम सेवक का उत्साह और भी बढ़ा और दो-चार प्रदर्शनों की सफलता दिखला कर लोगों को मूल्य पर खाद देने लगे। ऐसी दशा में उस साल तो केवल थोड़ी सी ही खाद बँट सकी पर इस बार लोग जून में ही खाद का स्टाक रखने के लिए उतावले हो उठे तथा समय से पहले ही ६८ मन खाद बिक गई। आज खटखरी क्षेत्र का कोई भी ऐसा किसान नहीं जिसने खाद न खरीदी हो।

: ३ :

एक वर्ष पहले कोढ़वा ग्राम का एक भी व्यक्ति हस्ताक्षर करना नहीं जानता था। एक दिन यह सुनकर कि पटवारी जी गाँव में आए हैं, सभी लोग जंगल की ओर भाग गए। दैवयोग से घूमते-फिरते ग्राम सेवक तिवारी जी भी उसी शाम को वहाँ पहुँचे और उनके साथ गाँव के मुखिया श्री सालिक भी थे तिवारी जी को गौंडों के देव घमसान की पूजा तथा गौंडों में प्रचलित करमा नृत्य देखने की बड़ी इच्छा थी। इसी आशा से वह वहाँ गए थे। पर गाँव के सब लोग तो जंगल की शरण में चले गए थे। बेचारे पटवारी चार छः घण्टे की प्रतीक्षा के बाद जा चुके थे। सालिक जी ने गौंडों का पता लगाया और उन्हें समझा-बुझा कर बस्ती में ले आए।

त्यौहार का दिन और घमसान देव की पूजा! रात को करमा हुआ। समाप्ति के बाद एकदम सालिक जी ने कहा—"घमसान देव हमका सपन दिहिन है कि जो सब जने रामायन का पाठ छः महीना मा न करे लगेब तौ हम सबका नास कर देब।"

"अब का होई। भला हमार बापौ तो पढ़ि न लिखिन नहीं, हम जने कैसे पढ़ब? भला हमका सब जने का को पढ़ाई। देउता कै मरजी आइ जौ न करब तौ का होई। आजु का दिन बहुतै खराब रहा। ससुरी पटवारी सवेरेन-सवेरेन आवा और घमसानो अइसन होइगें।" एकदम कई लोग कहने लगे। इतने में मौका देखकर तिवारी जी ने कहा—"हमारे यहाँ एक दफ्तर खुला है जहाँ रात्रि में पढ़ाने-लिखाने का इन्तज़ाम है। यदि आप लोग पढ़ने आएँ तो मैं इसका इन्तज़ाम कर दूं।"

एकदम सभी लोग तैयार हो गए। तिवारी जी सीधे दफ्तर आए और समाज शिक्षा संगठनकर्ता से एक रात्रि पाठशाला खोलने की स्वीकृति लेकर एक स्कूल चालू करवा दिया, हर शनिवार और मंगलवार की शाम को रामायण तथा कीर्तन का आयोजन हुआ करता है तथा पटवारी को भी लोग अब अपने घर का ही सदस्य मानने लगे हैं।

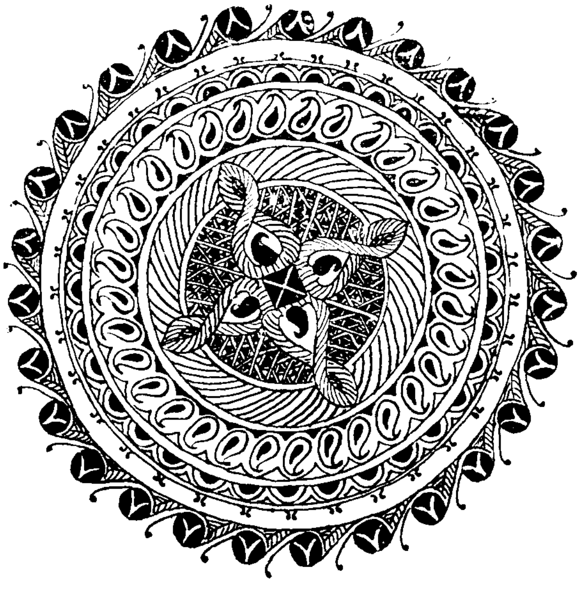

समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता

सत्य

जब से भी मैं समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता के पद पर आरूढ़ हुआ, मुझे अपने कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी-कभी तो अपने-आप से ही खीझ हो जाती। विभागीय उपेक्षा मेरी परेशानी में और वृद्धि कर देती। कभी-कभी मैंने यह भी महसूस किया कि इसका एक कारण संगठनकर्त्ता की लापरवाही, उच्छृंखलता और आलस्य भी है।

कुछ मास के बाद जब मैं कुछ आश्वस्त हुआ और कुछ प्रयोगों को कार्य-रूप में परिणत किया, तब मैंने महसूस किया कि मैं कुछ हद तक सफल हो सका हूँ। जो कार्यकर्त्ता पहले मेरी उपेक्षा करते थे, उन्हें कई आवश्यक कार्यों में मेरी सहायता लेने पर बाध्य होना पड़ा।

रात्रि-पाठशाला, नाच-गान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, वाद-विवाद आदि की अपनी महत्ता है। थोड़े में यही कहा जा सकता है कि समाज-शिक्षा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि समाज शिक्षा को उचित महत्त्व नहीं दिया जाता, इसमें आवश्यक सुधार नहीं किए जाते। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं कि समाज शिक्षा विकास-योजनाओं की धुरी है।

आप भले ही रचनात्मक कार्य कर लें, किन्तु जब तक ग्रामीणों का हृदय-परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य निरर्थक है, दिखावटी है। नालियाँ बन गई हैं, कुएँ बन गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, सहकारी समितियाँ बन गई हैं, जापानी तरीके से धान की खेती कराने का प्रयास किया जा रहा है—पर ये सभी तब तक फिजूल हैं जब तक कि ग्रामीण-बन्धु उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होते। सब से प्रमुख बात है ग्रामीणों का हृदय-परिवर्तन करना, उनकी कूप-मंडूकता हटाना और उनके मस्तिष्क को प्रगति की ओर ले जाना।

सुयोग्य समाज शिक्षा संगठनकर्त्ताओं के अभाव में सामुदायिक विकास-योजनाओं या राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की प्रगति धीमी रहेगी। मैंने जिन बातों से इतनी थोड़ी अवधि में इतनी सफलता पाई, उन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। इससे अन्य संगठनकर्त्ता लाभ उठा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है।

(१) समाज-शिक्षा संगठनकर्त्ता को समाज-शास्त्र एवं मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अच्छा होता यदि इस पद की नियुक्ति के लिए 'समाज-शास्त्र-स्नातक' का मापदण्ड रखा जाता न कि 'बेसिक ट्रेण्ड' का।

(२) संगठनकर्त्ता ग्रामवासी ही हों या उन्हें गाँव में रहना पसन्द हो, जिस क्षेत्र में वे कार्य शुरु करें, उस क्षेत्र में जाकर सर्व-प्रथम साधारण से साधारण ग्रामीण या किसान तक से सम्पर्क स्थापित करें। गाँव के प्रतिष्ठित एवं प्रमुख व्यक्तियों से वे तब मिलें जब वे साधारण ग्रामीणों से मिल चुके हों।

(३) प्रारम्भ में कुछ मास तक कार्यारम्भ करने के पूर्व प्रत्येक गाँव के प्रत्येक ग्रामीण से मिलकर उसके परिवार का ही एक सदस्य बन जाएँ, उसकी बातों में दिलचस्पी लें, उसे बिना प्रतिवाद किए उचित सलाह दें। उससे किसी विषय पर दलीलें न करें और उसके सामने ऐसा व्यवहार करें जिससे ग्रामीणों की ग्राम सेवक में श्रद्धा बढ़े।

(४) संगठनकर्त्ता में धैर्य, साहस, सहनशीलता होनी चाहिए। वह विनीत होना चाहिए। किसी भी ग्रामीण की बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इच्छा न रहते हुए भी उनकी बातों को ग़ौर से सुनना चाहिए। यदि आप उनकी बातों की समाप्ति चाहते हैं तो आप ऐसे ढंग से उस बात को समाप्त करने की चेष्टा करें ताकि उसे इसका आभास न हो कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

(५) संगठनकर्त्ता को बच्चों से स्नेह और प्रेम रखना चाहिए।

(६) बच्चों को यदा-कदा सस्ते लेमनजूस या चाकलेट देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहिए।

(७) बच्चों के साथ अपने आप को भी बच्चों की तरह बना लेना चाहिए। बच्चों के द्वारा संगठनकर्त्ता आसानी से ग्रामीण-बन्धुओं के हृदय को जीत सकते हैं, उनसे खुल कर बातें कर सकते हैं। हां, इसमें धैर्य और सहनशीलता की अधिक आवश्यकता है।

(८) ग्राम के बूढ़ों एवं नवयुवकों से यथायोग्य नाता जोड़कर सम्पर्क बढ़ाने की चेष्टा भी विकास-कार्य में अधिक सफलता प्रदान कर सकती है।

[शेष पृष्ठ २६ पर]

लोक-गीतों में ग्राम जीवन

जुगलकिशोर जरगर विशारद

भारतीय ग्राम जीवन सदा से काव्यमय रहा है। मौसम के अनुकूल ग्राम गीतों की धुनें सम्पूर्ण ग्राम जीवन में प्राण फूँक देती हैं। इन गीतों में कितना माधुर्य, कितना लालित्य रहता है।

समय इतना बदला, अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद हमारे लोक गीत आज भी ग्रामों की वायु में गूँजते हैं। असंख्य, अज्ञात, अपढ़ कवियों की सदियों पुरानी कविताओं में आज भी वही स्फूर्ति, वही आनन्द, वही मिठास है। उनकी वह पुरानी भाषा आज भी उतनी ही मादक है, जितनी वह पहले रही होगी। यही कारण है कि आज भी हमारे ग्रामों का सांस्कृतिक धरातल काफ़ी ऊँचा है। सदियों से शोषित, गर्मी में पसीने-पसीने, ठण्ड में कांपते, वर्षा में भीगते हुए, झोंपड़ों में रहने वाले, ग्रामीणों के कमज़ोर शरीरों में निर्मल आत्मा के दर्शन होते हैं।

वर्षा, हेमन्त और वसन्त—ये तीन ऋतुएँ हमारे काव्यमय उल्लासपूर्ण जीवन की प्रतीक बन गई हैं; हमारे ग्राम जीवन की आत्मा बन गई है।

वर्षा की प्रथम बूंदें आती हैं। पृथ्वी माता अपनी बेटी—'हरियाली' को मानो उसकी ससुराल से बुलाने की तैयारी करने लगती है। हरित वस्त्रधारिणी धरती माता, धान के लहलहाते खेत, सघन वन, जिधर देखो उधर रस और आनन्द की वर्षा। चिर तृप्ति के प्रतीक ये अथाह तालाब, चिर मिलन की प्रतीक नदियां, और यह पुरवैया पवन!—ये प्यार से एक दूसरे का मुख चूमती हुई वृक्ष की टहनियाँ और टप-टप करती हुई ये बूंदें। ये वात्सल्यपूर्ण गाएँ और फुदकते बछड़े और ऐसे में ही आ जाता है सलौना मास—धरती का मादक त्यौहार—सावन! अपढ़ कवि गा उठता है—

सावन मास सुहावन सजनी,
रिमक झिमक जल बरसे।

हृदय में आशा के दीप जलाए बहनें अपने भाईयों के घर पहुँचती हैं। वे बहनें जो ससुराल में पहुँचते ही गृहस्थी के बोझ से अधमरी-सी हो जाती हैं, नई संजीवनी शक्ति पा जाती हैं। अहा! आम के पेड़ से बँधा हुआ झूला। गांव भर की बालाएँ रंग-बिरंगे परिधान पहने झूले पर गा रही हैं कितना आनन्द है इस दृश्य में।

ऐसी स्थिति में लोक-कवि कैसे चुप रह सकता है—

कजली वन बारे भौंरा रे!
कौन की बेटी सिया जानकी
कौन की बेटी रानी गौरा रे!
राजा जनक की बेटी जानकी
राजा हिमाचल की गौरा रे!

झूले पर बैठी बाला का यह स्वर गाँव भर में गूंज उठता है। और एक बेचारी बहन है, जिसका ग़रीब भाई उसे लिवाने नहीं आ सका। वह सिसक-सिसक रो रही है—

असाढ़ गए सावन लगे हो
दूब तो रही हरयाय।
बीरन लिबौआ आए ना
मैंने तो चुनरी धरी रंगवाय॥

और पुरुष! आखिर उसका भी तो हृदय है। लेकिन वह समझदार है। आनन्द के क्षणों में वह गाता है—

सावन सुहावनि मुरली लगे हो
भादों में सुहावनि मोर।
अरे त्रिया सुहावनि जर्बाहे लागे
जब ललना खिलावत हो पोर॥

समय गुज़रता है। सावन बीत जाता है। भादों आता है—

भादों मास भयंकर सजनी,
बाढ़े नदिया नारे।

लेकिन वर्षा का भी अन्त होता है। भयंकर वर्षा, जिसने चार मास सूर्य को अपना मुख तक दिखाने का अवसर न दिया, अब समाप्त हुई। क्वांर मास लग गया है।

क्वांर मास की छिटक चाँदनी,
बाढ़े सोच हमारो
कौन उपाय करों मोरी सजनी
कान्ह कुँअर नहीं आयो।

इस अज्ञात राधा के अज्ञात कृष्ण न मालूम कहाँ चले गए हैं और अब ठण्ड पड़ने लगी है। शीत के मारे सिकुड़ी जा रही है, बेचारी के पास कोई वस्त्र नहीं है। कष्ट के मारे रो देती है, मोती सदृश्य अश्रुकण ढुलक जाते हैं।

ग्रामीणों के व्यस्त जीवन का नया परिच्छेद आरम्भ होता है। धान की कटाई आरम्भ होती है। रात्रि के निस्तब्ध पहरों में

धान से लदी बैलगाड़ियों के काफ़िले वन की निस्तब्धता को चीरते हुए चले जाते हैं। गाड़ी चलती जाती है, गाड़ीवान सो जाते हैं।

रास्ता—पगडण्डी है। पत्थर की ठोकर लगी और नींद टूट गई। गाड़ीवान सो भी नहीं पाते। गा उठते हैं—

नए कुआँ को मेदरों
पानी भरन न देय।
डोर में चढ़ आवे सजन
चूम सजनि को लेय।

बैलों के गले में पड़ी घण्टियों की "टुन-टुन" के साथ-साथ हांकने की आवाज़ "हे—हो" सारे वन को गुंजा रही है।

मेले और मड़ई में, बिना लोटा और गड़ई के, ठण्ड में सिकुड़ते नर-नारी जाते हैं। तुषार-सी शीतल वायु के झकोरों के बीच आल्हाद के ये सुखद बोल उनके मुख से निकल पड़ते हैं—

बड़े सुदिन से हम चले,
लेत तुम्हारो नाम।
पोढ़ें पाए संग में,
खात लायचो पान।।

लक्ष्मी का त्यौहार दीवाली आई। निर्धन भारत के निर्धन किसान माटी के दियों में सारा स्नेह उँडेल देते हैं। माटी के दिए झिलमिल-झिलमिल जल रहे हैं। ग्राम जीवन की ज्योति बढ़ती है—

कठला बड़े मोल के रे—गुरिया बनी गुजरात
हती दिवारी जेठ में दुर्बल देखी गाय
ऐसे कन्हैया नन्द के लै डारी कार्तिक माह।

नववधुओं के आल्हाद का भी ठिकाना नहीं—

काजर ले कारी भई
सिंदुरा दे भई लाल
पहर घँघरियाँ मगन भई
घर घर नाचन जाँए।

और ऐसे ही ठण्ड बीत जाती है।

होली आई। सब जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता! होली का त्यौहार, भाई-चारे का त्यौहार, स्वागत है। घर-घर ढोलक बज रही है। सब लोग आनन्दातिरेक से फूले नहीं समा रहे। ढोलक की आवाज़ के साथ अनेक कण्ठों के स्वर गूंज रहे हैं—

फागुन मास फलहरी सजनी
सब बृज होरी खेलें री।

एक पंक्ति का यह गीत अनेक बार कई ढंग से दोहराया जाता है। सब झूम उठते हैं। रंग और गुलाल की फुहार; मस्ती के दिन हैं।

ऐसा है हमारा काव्यमय ग्राम जीवन! इन अज्ञात, अपढ़ कवियों की रचनाएँ हम कैसे भूल सकते हैं। जब तक हम प्रकृति से अपना कुछ भी सम्बन्ध बनाए रखेंगे, इन्हें नहीं भूल सकते।

यह धरती सोना उगलेगी

रमाकान्त श्रीवास्तव

तू दूरी कदमों में भर ले
अपनी छाती और फुला ले
पास स्वयं तू लक्ष्य बुला ले
तेरी गति तेरी मंज़िल है
आकर तेरे गले लगेगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

क़िस्मत को तू हाँक लगा दे
तेरी मेहनत का स्वर जागे
तेरे अभियानों के आगे
बादल, बिजली, आँधी, पानी
हर विपदा मग छोड़ चलेगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

तू झुक मत अवरोध झुका ले
तोड़े जा बंजर की छाती
गाए जा तू राग प्रभाती
फसलों का सूरज चमकेगा
दुःखों की रातें सिमटेंगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

रुक न कभी निर्माण पंथ पर
स्वेद बहा, सागर बनने दे
उत्पादन का क्रम चलने दे
उजड़ी माटी फिर पनपेगी
वीरानी सिंगार करेगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

तेरी दृढ़ता फौलादी हो
पर्वत को करता चल राई
मुड़े न तेरी वज्र कलाई
चट्टानों में कमल खिला दे
लक्ष्मी आँगन में बरसेगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

यह माटी दीपक की लौ है
पिला इसे तू स्नेह पसीना
निर्भर इस पर मरना-जीना
बाती है हर एक हराई
आँसुओं की किरनें फूटेंगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

यह माटी माया विपुला है
मारे जा फावड़ा-कुदाली
वार न जाए तेरा खाली
तेरी मेहनत तेरी गीता
कर्म किए जा विजय मिलेगी,
यह धरती सोना उगलेगी !

किस समय क्या खाएँ ?

सावित्रीदेवी वर्मा

भारतवर्ष में पाक-विज्ञान पर काफी खोज-बीन हुई है। आज इस बात की और भी ज़रूरत है कि हम भोजन पर जो रकम खर्चें, वह इस प्रकार से व्यय करें कि हमारी शारीरिक जरूरतें सब पूरी हो जाएँ और भोजन खाकर हमें तृप्ति भी हो। आयु, धन्धा, हाज़मा और अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखकर ही भोजन के विषय में चुनाव करना होगा। ज़रूरत इस बात की है कि खाद्य पदार्थों का चुनाव समय और ऋतु अनुकूल हो। कौन-सी ऋतु में कौन-सा भोजन वर्जित है और कौन-सा अनुकूल है, इस विषय में प्रत्येक देश का अनुभव, लोकोक्तियाँ तथा परख से भी लाभ उठाया जा सकता है। भोजन की सार-संभाल, उनका मेल, उनके पोषक तत्वों की रक्षा, कम कीमत में अच्छा और पूर्ण भोजन प्राप्त करने की चेष्टा करना भी प्रत्येक गृहिणी का कर्तव्य है। अधिक पकाने या बेपरवाही से परोसने से भी भोजन का सार और आकर्षण मारा जाता है। अच्छे से अच्छा भोजन भी यदि गलत ढंग से पकाया और परोसा गया हो तथा बेमेल पदार्थ एकसाथ खाए गए हों, तो उससे लाभ के बदले हानि ही होगी। भोजन के मेल के विषय में आयुर्वेद में विस्तृत रूप से लिखा है; उसके अनुसार निम्नलिखित भोजन का मेल ठीक नहीं बैठता—

१. **दही के साथ तेल, केला, मूली या किसी प्रकार का मांस।**
२. **दूध के संग मदिरा, छाछ, गुड़, मछली और खटाई।**
३. **मूली के संग मीठा, मसूर, उर्द या मांस।**
४. **चावल के संग सिरका।**
५. **शहद के संग उड़द, घी, मसूर, लहसुन, खरबूजा, मुनक्का, दही, मूली, मछली और मांस।**
६. **मछली के संग दूध, गन्ने का रस, बादाम। खीर के संग नीबू या खिचड़ी।**

इसके अतिरिक्त **रस विरुद्ध** भोजन भी न किया जाए, यथा दूध और नमक। योग **विरुद्ध भोजन भी** अवगुण करता है यथा दूध और गुड़। भोजन से पहले पानी या दूध पीना अन्यथा मीठी चीज पहले खा लेनी, **यह क्रम विरुद्ध** भोजन कहलाता है।

निम्नलिखित भोजन **ऋतु विरुद्ध** माने गए हैं—सावन में साग, भादों में दही, क्वार में करेला, कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ महीने में मिसरी, फागुन में चना, **चैत में गुड़;** बैसाख में तेल, जेठ में केसर, तथा असाढ़ में बेल।

भोजन को सन्तुलित करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि एक समय में क्या पकाया जाए (मीनू) इसका चुनाव ठीक से किया जाए। यह न हो कि दाल और भाजी दोनों ही सूखी बनाली जायं या एक समय में दो गरिष्ठ भाजियाँ हों, यथा उर्द की दाल के संग मटर या घुइयों की भाजी। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि भोजन में एक हरी साग-सब्ज़ी ज़रूर हो। अगर आपने आलू या काबुली चने रसेदार बनाने हैं, तो गाजर, मूली, टमाटर आदि का सलाद काफी खाया जाए। भोजन के पश्चात कुछ मीठी चीज़ खाने से वह जल्द पचता है। इसीलिए वैद्यक शास्त्र में भोजन के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाना हितकारी बताया गया है।

सन्तुलित भोजन

सन्तुलित भोजन वह है जिसमें शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए तथा जो जल्द हज़म भी हो जाए। विद्यार्थियों तथा बुद्धि श्रमिकों को घी, फल, दूध, बादाम, ऐसी वस्तु खानी चाहिए ताकि उनके मस्तिष्क को तरावट मिले। इनका भोजन मात्रा में कम पर पौष्टिक होना ज़रूरी है। जिन व्यक्तियों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है जैसे मज़दूर, किसान, सिपाही, उन्हें ठोस भोजन की ज़रूरत है यथा रोटी, दाल, गोश्त आदि। इन्हें काफी मात्रा में खुराक मिलनी चाहिए। बच्चों को हल्का पर बलदायक भोजन मिलना चाहिए। बीमार और वृद्धों के लिये दूध, फल तथा हल्का पथ्य जरूरी है। ठंडे देश के लोगों को गर्म देश के लोगों की अपेक्षा अधिक बलदायक भोजन चाहिए। इसीलिए अधिकांश ठंडे देशों के लोग मांसाहारी हैं।

ऋतु अनुकूल भोजन

बसन्त ऋतु— बसन्त ऋतु में सर्दी और गर्मी के मेल से कफ कुपित हो जाता है। मौसम तब्दील होने के कारण इन दिनों में अक्सर जुकाम-खांसी हो जाती है। अतएव इस ऋतु में जुलाब लेकर पेट साफ करना चाहिए। चटपटे, रूखे, कड़वे, कसैले पदार्थों यथा सौंफ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, हल्दी आदि का सेवन करना चाहिए। गरिष्ठ पदार्थ और मिठाई तथा पकवान वर्जित हैं। गेहूँ, चावल, मूली, गाजर, नींबू, शहद, अदरक का सेवन लाभदायक है।

ग्रीष्म ऋतु—गर्मी में ऐसी चीज़ों का सेवन करना

चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो। लस्सी, छाछ, मिश्री का शरबत, चावल, जौ और गेहूँ का सत्तू, तरबूज, ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, तुरई, साग, करेला, सिंघाड़ा, शर्बत, गुलाबजल और सन्दल, ठंढाई, सेब या आंवले का मुरब्बा, गाय का दही और दूध, मक्खन, मिश्री का सेवन लाभदायक है। पानी अधिक पीना चाहिए। आम का पना और इमली या चाय की शरबत लू से रक्षा करती है। धूप से बचना चाहिए। बाहर निकलने से पहले एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। इन दिनों में पित बढ़ जाता है। इस कारण नींबू-पानी पीना बहुत लाभदायक है।

वर्षा ऋतु—इन दिनों में वायु नाशक चीजों का सेवन गुणकारी है। खट्टे मिट्ठे तथा पाचक रस, प्याज, पोदीना, अदरक, सोंठ, गरम दूध, घी, पुराना चावल या चिड़वा, जौ, दही, जामुन आदि का सेवन लाभदायक है। लौकी, तुरई, परवल, फली आदि साग-सब्जी हल्की होती है और जल्दी पचती है।

शरद् ऋतु—इन दिनों में भोजन हल्का करना चाहिए। गेहूँ, उर्द, गरम पदार्थ, सरसों, बैंगन, कटहल, खीर, खिचड़ी, पुलाव, पापड़ आदि का सेवन किया जाए।

हेमन्त ऋतु—इस ऋतु में पित्त कुपित हो जाता है, अतएव पित्त नाशक भोजन करना चाहिए। इसके लिए नींबू का रस बहुत गुणकारी होता है। गेहूँ, जौ, चावल, दूध, आंवला, सूखा मेवा, नारियल, गोभी, मटर, शलगम, गाजर आदि खाना ठीक है।

शिशिर ऋतु—इन दिनों पेट का हाजमा तेज़ हो जाता है। इन दिनों खाया हुआ शरीर को लगता भी खूब है। अच्छी खुराक खानी चाहिए, दूध, घी, मक्खन, हलवा, उर्द, गेहूँ, चावल, बादाम आदि मेवा अपनी पाचन शक्ति का ध्यान रखकर खाना उचित है।

इन बातों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी तासीर और पाचन शक्ति भी होती है। अतएव उनका ध्यान रखकर भोजन पकाया और खाया जाए।

★

समाज शिक्षा संगठन कर्ता — [पृष्ठ २१ का शेषांश]

(९) संगठनकर्त्ता को ग्रामीणों के सभी त्यौहारों और उत्सवों में अवश्य भाग लेना चाहिए।

(१०) संगठनकर्त्ता में अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होनी चाहिए।

(११) संगठनकर्त्ता को क्रोधी एवं जिद्दी नहीं होना चाहिए। उसमें हँसते-हँसते सभी बातों के उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए।

(१२) संगठनकर्त्ता को चाहिए कि समयानुकूल किसी-किसी गाँव में लगातार चार-पाँच दिनों तक रहकर वहाँ के ग्रामीणों से मिलता रहे और उनकी समस्याओं का निराकरण करता रहे।

(१३) संगठनकर्त्ता को अपने आपको अफ़सर नहीं समझना चाहिए। ग्रामीणों को भयभीत नहीं करना चाहिए। अपने को अफ़सर कह कर उन पर किसी कार्य को करने के लिए जबर्दस्ती दबाव नहीं डालना चाहिए। यह बड़ा भारी दोष है। इसका निराकरण अत्यावश्यक है।

(१४) संगठनकर्त्ता को चाहिए कि प्रत्येक मास ग्रामीणों को समीपवर्ती प्रमुख स्थानों एवं विकास कार्यों को दिखला कर उनके मस्तिष्क एवं हृदय में कार्यशील होने की भावना भरे। विकास कार्य के प्रति उनमें विश्वास पैदा करे।

(१५) संगठनकर्त्ता को क्षेत्रीय-भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

संगठनकर्त्ता को चाहिए कि वह खण्ड के अन्य कार्यकर्त्ताओं को समय-समय पर उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद देता रहे। कई खण्डों में तो ऐसा देखा जाता है कि संगठनकर्त्ता को अनेक कार्य करने को मजबूर किया जाता है, जैसे मासिक, पाक्षिक रिपोर्ट तैयार करना, एवं कापी करना आदि। किरानी के कार्यों से संगठनकर्त्ता को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर देना चाहिए।

★

एक प्रशिक्षण केन्द्र की झाँकी

प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यापक के रूप में

पी० वाई० चिन्तामणि

नवम्बर १९५२ में एक दिन सायंकाल मुझे कृषि निर्देशक का एक सन्देश मिला कि पेड्डापुरम के प्रस्तावित विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र में प्राध्यापक के रूप में काम करने के लिए तैयार रहो। सन्देश पाते ही मेरे मन में अनेक आशंकाएँ उठने लगीं। मुझे पढ़ाने का अनुभव नहीं था। परन्तु हृदय में सामुदायिक विकास-योजना में काम करने का चाव अवश्य था। जिस क्षेत्र को सामुदायिक विकास के लिए चुना गया था, मैं उसमें कृषि प्रदर्शक का काम कर रहा था। इसके साथ ही, पूर्व गोदावरी में सामुदायिक योजना-क्षेत्र के लिए ज़िला योजनाएँ तैयार करने में भी मेरा हाथ रहा था। उस समय नई विकास योजना का पूरा विवरण मुझे ज्ञात हुआ था और मेरे हृदय में इस योजना में भाग लेने की बहुत इच्छा थी। अब मुझे अवसर मिला था, हालांकि एक विस्तार कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि योजना-क्षेत्र के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने वाले अध्यापक के रूप में।

मुझे ८ दिसम्बर, १९५२ को केन्द्र में पहुँच जाने का आदेश मिला था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि आन्ध्र के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग ३० प्रशिक्षार्थी केन्द्र में पहुँच चुके थे। तीन प्राध्यापक उसी दिन आए थे। प्रिंसिपल महोदय अभी नहीं आए थे। हमें यह मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ाना है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे कुछ-कुछ डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे पढ़ाने का कुछ भी अनुभव नहीं था और मेरा वास्ता अब हर प्रकार के नवयुवकों से पड़ना था। अपना काम अच्छी तरह करने के लिए आवश्यक था कि मैं उस प्रशिक्षण कार्यक्रम को भली भाँति समझ लूँ। प्रिंसिपल महोदय ४-५ रोज़ बाद आए। इस दौरान प्रोजैक्ट एग्जीक्यूटिव अफसर ने

पढ़ने के लिए हमें कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक सामग्री दे दी। यह जानने के लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है और ग्राम सेवक को क्या-क्या करना है, मैंने इस सामग्री को ध्यान से पढ़ा। इस से मेरी मानसिक अवस्था में काफी परिवर्तन हुआ। प्रशिक्षण केन्द्र में आने से पूर्व दस साल से मैं कृषि प्रदर्शक का काम कर रहा था। वह काम अब के काम से बिलकुल भिन्न था। अब मेरे कुछ अधिकार थे और मैं कुछ क्षेत्र-कार्यकर्ताओं की गतिविधि का निर्देशन करता था। प्रशिक्षण केन्द्र में आने और अध्ययन करने के पश्चात मैं इस नए कार्यक्रम की सही भावना समझने में सफल हुआ और अब मुझ में बहुत परिवर्तन आ गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाने पर हमें अनेक नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे हमने आवश्यक उपकरण एकत्रित किए और एक पुस्तकालय तथा एक अजायबघर भी स्थापित किया। प्रशिक्षण केन्द्र के पिछवाड़े के आंगन में लगभग आधा एकड़ भूमि थी जिस में झाड़ियाँ आदि उगी हुई थीं। इस भूमि पर हम कुछ सब्जियाँ और नमूने की फ़सलें उगाना चाहते थे। लड़कों को इस भूमि की सफ़ाई पर लगा दिया गया। लड़कों में से अधिकतर स्कूल व कालिजों से निकल कर आए थे, इसलिए उनको कठिन परिश्रम करने की आदत नहीं थी। कुछ तो अपने हाथ से काम करने को भी बुरा समझते थे। पहले कुछ दिनों में दो प्रशिक्षार्थी केन्द्र को छोड़ कर चले गए क्योंकि वे इस प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते थे। कुछ युवकों ने यही धारणा बनाई हुई थी कि उनका काम केवल लोगों को उपदेश देना है, खुद खेत में घुसकर अपने हाथ खराब करना नहीं है। कई ने अब तक किसी औज़ार को हाथ भी नहीं लगाया था। कुछ ने कहा कि केवल उनके इलाके में काम में आनेवाले औज़ार अच्छे हैं और वे उन्हीं से काम करेंगे। इन सब लोगों को समझाने का काम अध्यापकों का था। ऐसी अवस्था में अध्यापकों की कठिनाई का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। राज्य के विभिन्न भागों से आनेवाले लोगों के रहन-सहन का तरीका भी अलग-अलग था। इन सब लोगों को एक जगह बैठा कर उनमें नए कार्यक्रम और शारीरिक श्रम की महत्ता की भावना जागृत करनी थी। इन लड़कों के दिमाग में कई अटपटे वहम भी थे। कुछ समझते थे कि बैंगन खाने से अण्ड-कोष बड़ा हो जाता है, कई प्रशिक्षार्थी समझते थे कि दूध का पाऊडर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।

कालिज अथवा स्कूल में अध्यापक को जो काम करना पड़ता है, प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यापक का काम उससे भिन्न होता है। प्रशिक्षण केन्द्र में अध्यापक और छात्रों में निकट का और सजीव सम्बन्ध होना चाहिए। मुख्य और सबसे कठिन काम है प्रशिक्षार्थी के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। मेरा अनुभव है कि इस काम के लिए अध्यापक को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। साथ ही उसका बहूद्देशीय कार्यकर्त्ता होना भी अनिवार्य है। विभिन्न पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़कर और अपने सहयोगियों से विचार-विनिमय करके मुझे उनके विषय में अनेक बातों का पता लगा। मुझे इस बात का पूरी तरह आभास था कि अध्यापक अगर अच्छी तरह पढ़ाना चाहता है, तो स्वयं उसे भी निरन्तर अध्ययन करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने महसूस की, वह यह थी कि पहले मुझे अपनी मनोवृत्ति को बदलना होगा। तभी मैं अपने छात्रों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन कर सकूंगा और उन्हें ग्रामवासियों की सेवा करने को प्रेरित कर सकूंगा।

नवयुवकों के दृष्टिकोण बदलने के लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं हर व्यक्ति का काम करते समय अध्ययन करता। क्लास में तथा इसके बाहर उनके आचरण का अच्छी प्रकार निरीक्षण करता। साथ रह कर और मिलजुल कर काम करने के फलस्वरूप ये नवयुवक शीघ्र ही अपने आपको इस नई जीवन प्रणाली के अनुकूल ढालने में सफल हो गए।

लड़कों को श्रम की महत्ता समझाने के लिए और उन्हें स्वयं अपने हाथों से काम करने की प्रेरणा देने के लिए बारी-बारी से कुछ काम सौंपे गए। धीरे-धीरे उन्हें खुद हाथ से काम करने की आदत पड़ गई। इस दौरान कई बार उनको गाँवों के दौरों पर ले जाया गया जहाँ अध्यापकों और छात्र ने खेतों में काम करके किसानों की सहायता की। कई प्रदर्शन खेत भी तैयार किए। प्रशिक्षण काल के पश्चात छात्रों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। मिलजुल कर रहने और अपनी मैस (भोजनालय) की स्वयं ही व्यवस्था करने से उनमें सहकारिता की भावना पैदा हो गई।

मेरा ख्याल है कि प्रशिक्षण केन्द्र के अध्यापक का काम कोई सरल नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य और अध्यवसाय की आवश्यकता है। साथ ही उसमें सेवा भावना होनी चाहिए। तभी वह नवयुकों में सेवा-भावना पैदा कर सकेगा। इसके अतिरिक्त उसे बहूद्देशीय कार्यकर्त्ता भी होना चाहिए।

★

विकास-योजनाओं की प्रगति

नवम्बर, १९५६ के आरम्भ में भारत में ६२२ सामुदायिक विकास खण्ड और ८५३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड थे, इनके अन्तर्गत १,६२,५६३ गाँव थे जिनमें ११ करोड़ ३ लाख व्यक्ति रहते थे। इस से स्पष्ट है कि विकास-योजनाएँ काफी दूर तक फैल गई हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें ठोस कार्य भी काफ़ी हुआ है।

पिछले दो वर्षों में इन खण्डों में कृषि-उत्पादन में २० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विकास-योजना के क्षेत्रों में ३० जून १९५६ तक लगभग ५६,५२,००० मन उन्नत बीज बाँटा गया और कृषि सम्बन्धी १६,३६,००० प्रदर्शन आयोजित किए गए। किसानों को १,१०,६४,००० मन से अधिक उर्वरक दिए गए। इसी अवधि में लगभग २,८०० प्रमुख ग्राम-केन्द्र शुरू किए गए और गाँववालों को अच्छी नस्ल के २,७५,००० पशु-पक्षी दिए गए। २५,०९,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई और १४,२३,००० एकड़ भूमि का सुधार किया गया। लगभग ७० हज़ार लोगों को घरेलू उद्योगों और दस्तकारियों का प्रारम्भिक तथा पुनरभ्यास प्रशिक्षण दिया गया और ८८ हज़ार लोगों के लिए पूरे तथा ५ लाख १४ हज़ार लोगों के लिए आंशिक काम-काज की व्यवस्था की गई।

स्वास्थ्य सेवाएँ

गाँववालों के लिए चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तथा शिक्षा की सुविधाएँ भी बढ़ाई जा रही हैं। अब तक ८६० से अधिक ग्राम-केन्द्र और लगभग ७३० प्रसूति और शिशु-कल्याण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। गाँवों में लगभग ५० हज़ार नए कुएँ खोदे गए और ७६ हज़ार पुराने कुओं को सुधारा गया। गाँवों में संचार-सुविधाएँ बढ़ाने के लिए ६०० मील लम्बी पक्की और ४१,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं। सामुदायिक विकास-योजना के अन्तर्गत किए गए कुछ अन्य ठोस कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है —

अक्टूबर १९५२-जून १९५६

बाग़ों के रकबे में वृद्धि	१,६१,००० **एकड़**
सब्ज़ी की खेती के रकबे में वृद्धि	४,७३,००० **एकड़**
नए स्कूल	१,१७,०००
नए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	४७,०००
प्रौढ़ साक्षर बनाए गए	१२,६६,०००
सामुदायिक केन्द्र (जिनमें पुस्तकालय आदि भी शामिल हैं)	१,१४,०००
नए मकानों का निर्माण	५५,०००
पुराने मकानों का सुधार	६६,०००
आदर्श मकानों का निर्माण	४,१५६
सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं	३६,०००
सहकारी समितियों में नए सदस्यों की भर्ती	२,०७,०००

विकास-कार्यों को पूरा करने में लोगों ने भी धन, सामग्री और श्रम के रूप में काफ़ी सहायता दी। जून, १९५६ के अन्त तक लोगों ने ३० करोड़ ४२ लाख रुपया दिया, जब कि सरकार ने ५१ करोड़ ५० लाख रुपया खर्च किया था। इस प्रकार जनता ने सरकारी खर्च का ५० प्रतिशत से अधिक, अथवा एक हज़ार की आबादी पीछे ४,००९ रुपया दिया।

भरपूरविकासोत्तर काल में कार्य

भरपूरविकासोत्तर काल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में विकास कार्य की प्रगति स्थिर करने और जहाँ सम्भव हो वहाँ

(शेष पृष्ठ ३२ पर)

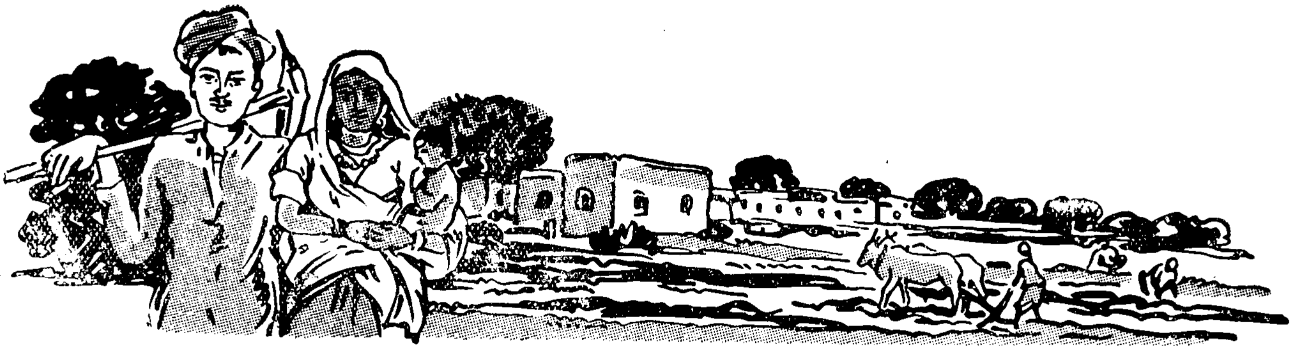

प्रगति के पथ पर

कृ ष उपज बढ़ाने में जन-संगठनों का महत्व

"किसी सामाजिक उद्देश्य के मूलाधार के बिना कृषि उपज में स्थायी रूप से कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकती।"—ये शब्द सामुदायिक विकास मन्त्री श्री सुरेन्द्र कुमार दे ने ११ दिसम्बर १९५६ को विकास आयुक्तों और राज्यों के कृषि सचिवों के दो दिन के सम्मेलन के अध्यक्ष पद से कहे।

यह सम्मेलन इस बात पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की सहायता से कृषि उपज के बढ़े हुए लक्ष्य को किस प्रकार पूरा किया जाए।

श्री दे ने आगे बताया कि कृषि उपज बढ़ाने के लिए जन-संगठनों का क्या महत्व है और लोगों की सूझ-बूझ और आगे आए बिना कृषि उपज बढ़ाना असम्भव है। सरकार पर कर्ज़ और उर्वरक आदि जुटाने की ज़िम्मेदारी अवश्य रहे पर इनके बाँटने और इस्तेमाल आदि का प्रबन्ध गैर-सरकारी संगठनों के हाथ में होना चाहिए। ऐसा होने पर ग्राम सेवक और अन्य कर्मचारी सुधरे तरीकों आदि के बारे में घर-घर जाकर बताने के लिए अधिक समय पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि चीन के प्रधान मन्त्री ने मुझे बताया कि चीन में कृषि उपज बढ़ाने का बहुत कुछ श्रेय वहाँ के जन-संगठनों को ही है। कृषि के बारे में वैज्ञानिक गवेषणा तो चलती ही रहेगी पर आज जो ज्ञान हमें उपलब्ध है उसी को ग्राम किसान तक पहुँचाने से बड़ा लाभ हो सकता है और उपज बहुत बढ़ाई जा सकती है।

कृषि उपज बढ़ाने में स्त्रियाँ भी बहुत योग दे सकती हैं। इस बात पर ज़ोर देते हुए श्री दे ने कहा कि खेद है कि अभी तक इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक किसान की घरवाली, गोबर और कूड़े को गड़े में जमा करने का निश्चय न कर ले, तब तक खाद के गड़े बनाने का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता।

श्री दे ने यह भी बताया कि केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में सरकार एक विस्तार शाखा खोलने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। फोर्ड फाउंडेशन ने इस शाखा का खर्च उठाने की इच्छा प्रगट की है। इसके अलावा वाणिज्य तथा उपभोग्य वस्तु उद्योग मन्त्रालय और स्वास्थ्य मन्त्रालय भी इसी प्रकार की विस्तार शाखाएँ स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी जल्दी ही अपने कृषि तथा अन्य विभागों में इसी तरह की शाखाएँ स्थापित करेंगी।

बीज उपजाने के फारम स्थापित करने का कार्यक्रम

केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने अनाज की उपज बढ़ाने के लिए खाद उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रम के अलावा एक और भी कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुसार दूसरी योजना की अवधि में देश में बीज उपजाने के ४,२८२ फारम खोले जाएँगे। इन फारमों में जो बीज पैदा होंगे, वे अच्छे किस्म के होंगे और उनकी मदद से किसान अपनी उपज बढ़ा सकेंगे। मन्त्रालय ने हाल में राज्यों के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग से परामर्श और विचार विमर्श करके यह कार्यक्रम तय किया है। प्रत्येक फारम २५ एकड़ ज़मीन में होगा।

प्रयत्न यह किया जाएगा कि बीज उपजाने के इस तरह के फारम विभिन्न राज्यों में ५ वर्षों में स्थापित करने के बजाय योजना के पहले तीन वर्षों में ही स्थापित कर दिए जाएँ ताकि योजना की अवधि पूरी होने से काफी पहले ही यह पता लग सके कि इन फारमों से उपज बढ़ाने में कितनी सहायता मिली है और इनके कारण उपज में कितनी वृद्धि हो सकी है।

विभिन्न राज्यों में हर तरह के फारम स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार जो आर्थिक सहायता देगी, वह ऋणों और अनुदानों के रूप में होगी। केन्द्रीय सरकार २५ एकड़ के प्रति फारम की ज़मीन के लिए १२,५०० रुपए और बीज के गोदाम आदि बनाने के लिए १०,००० रुपए देगी। इस रकम का २५ प्रतिशत भाग ऋण होगा और बाकी ७५ प्रतिशत सहायता होगी।

सिंचाई की सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को प्रति फारम १०,००० रुपए के हिसाब से ऋण देगी। इन फारमों का आवर्तक खर्च राज्य सरकारें खुद वहन करेंगी।

चालू वर्ष, १९५६-५७ में ४५९ फारम स्थापित करने के लिए ७२,७७,६२५ रुपए की सहायता और ४७,७८,५३५ रुपए के ऋणों की स्वीकृति दी गई है। आशा है कि दूसरी योजना का दूसरा वर्ष समाप्त होने तक देश में बीज उपजाने वाले इस तरह के लगभग १,६६२ फारम स्थापित हो जाएँगे।

दस्तकारियों के विकास के आठ प्रारम्भिक केन्द्र

अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि नवम्बर १९५४ से नवम्बर १९५५ की अवधि में मण्डल ने दस्तकारियाँ सिखाने के आठ प्रारम्भिक केन्द्र खोले।

सूरत में ज़री बुनने और कांचीपुरम में सूती और रेशमी साड़ियाँ बुनने का एक प्रारम्भिक केन्द्र खोला गया है। मद्रास में रंगाई की प्रयोगशाला और गाने-बजाने के साज़ बनाने का संस्थान स्थापित किया गया है। बम्बई और कोंडपल्ली (आन्ध्र) में गुड़िया बनाने की शिक्षा दी जाती है। बम्बई और दिल्ली में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सिखाया जाता है।

दस्तकारियों में नए डिज़ाइनों का आज बहुत महत्व है। इसी महत्व को समझकर मण्डल ने बंगलौर, बम्बई और कलकत्ता में प्रादेशिक केन्द्र खोलने का निश्चय किया। इन केन्द्रों में पुराने डिज़ाइनों को नया रूप दिया जाता है और नए डिज़ाइन निकाले जाते हैं। ये केन्द्र कारीगरों का मार्गदर्शन करते हैं और डिज़ाइन निकालने में उनकी सलाह भी लेते हैं। एक छोटा डिज़ाइन केन्द्र दिल्ली में भी खोला गया है।

अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल, केन्द्रीय उत्पादन मन्त्रालय के अधीन है। यह राज्य सरकारों की योजनाओं की परीक्षा कर के, उत्पादन मन्त्रालय को इनके बारे में सिफारिश करता है कि किस योजना के लिए कितने धन की सहायता देनी चाहिए। साथ ही मण्डल की कुछ योजनाएँ भी चलती हैं। इस वर्ष ऊन व ऊन से बननेवाली चीज़ों, हाथी दाँत, सींग और बीदरी की दस्तकारियों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।

राज्य सरकारों ने कपड़े, धातु के बर्तनों, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी की चीज़ों, खिलौनों, बाँस, सींग और गन्ने की चीज़ों, चूड़ियों पोतों और सीपी की चीज़ों और साज़ों की दस्तकारियों के विकास की अनेक योजनाएँ चलाईं।

इस वर्ष मण्डल ने भारत में तथा विदेशों में कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन प्रदर्शनियों में ब्रुसेल्स, स्टाकहोम और मास्को की प्रदर्शनियाँ उल्लेखनीय हैं। भारत में मण्डल ने, दिल्ली के भारतीय उद्योग मेले, श्रीनगर की उद्योग प्रदर्शनी और दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय गुड़िया प्रदर्शनी में भाग लिया। सितम्बर, १९५५ में मण्डल ने दस्तकारी सप्ताह मनाया और बम्बई में दस्तकारियों की झांकियाँ दिखाई गईं। मण्डल ने दस्तकारियों की चलती-फिरती प्रदर्शनी का भी आयोजन किया।

मण्डल ने १९५४ में दस्तकारियों की चीज़ों की बिक्री की सम्भावनाओं की पड़ताल शुरू की थी और वह इस वर्ष पूरी हुई। मण्डल ने इस पड़ताल की सिफारिशों को आमतौर से मान लिया और इन सिफारिशों के अनुसार अपनी कार्यकारिणी समिति को एक पंचवर्षीय योजना बनाने का अधिकार दिया।

मण्डल की योजना में, देश भर में कारीगरों की संस्थाओं का जाल बिछाने, दुकानें और माल तैयार करने के केन्द्र खोलने तथा बिक्री की सम्भावनाओं की पड़ताल करने की व्यवस्था है। योजना में कारीगरों को आसानी से कर्ज़ देने, उनकी सहकारी समितियाँ बनाने और दस्तकारियों की किस्म सुधारने तथा इनके निरीक्षण का प्रबन्ध करने पर ज़ोर दिया गया है।

★

विकास-योजनाओं की प्रगति — [पृष्ठ ३२ का शेषांश]

और बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि अब अधिकाधिक धन विकास खण्डों पर खर्च किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव है कि जहाँ सम्भव हो—उदाहरणतः छोटे-छोटे सिंचाई के कामों में—यह धन खंडानुसार दिया जाना चाहिए और इसके लिए बजट में उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि भरपूर विकास वाले खण्डों में ज्यों-ज्यों स्वावलम्बन की भावना बढ़ेगी, त्यों-त्यों उनमें विकास-विभागों के प्रयत्नों में वृद्धि होने पर अधिकाधिक लक्ष्यों की पूर्ति होने लगेगी। इसी बात को ध्यान में रख कर इन इलाकों में घरेलू उद्योग, महिला कार्य-क्रम और सहकारिता तथा आवास आदि के विकास के लिए प्रारम्भिक योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। भरपूरविकासोत्तर काल में विकास-कार्यों के आर्थिक पहलुओं पर ही अधिक जोर दिया जाएगा। इन पहलुओं में कृषि, पशुपालन, सिंचाई और भूमि-सुधार सम्बन्धी विकास कार्यों द्वारा अन्न के उत्पादन में वृद्धि और घरेलू उद्योगों का विकास शामिल है।

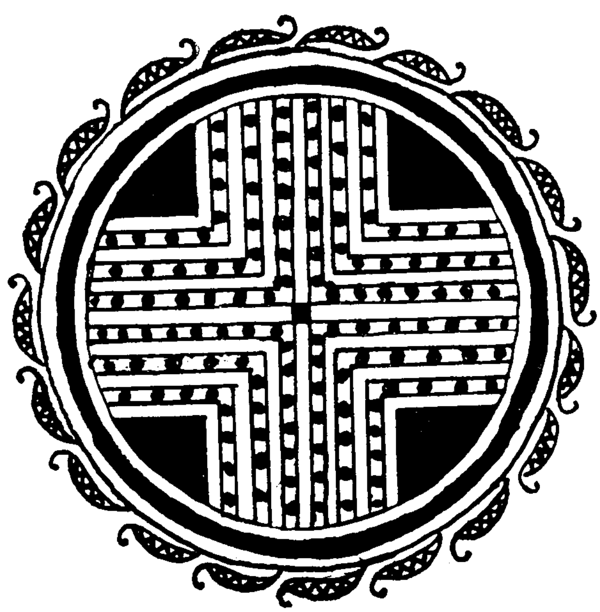

भारत की एकता का निर्माण

(सरदार वल्लभभाई पटेल)

भारत की एकता के निर्माता सरदार पटेल के २७ अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

१५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में ९ प्रान्तों के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं। इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, काश्मीर और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थीं, जो आकार और आबादी के लिहाज़ से पृथक् राज्यों का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थीं और २०२ रियासतें तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की पृथक् इकाइयाँ बनी हुई थीं।

भारत के प्रथम उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया। उक्त ५८४ रियासतों का ५,८८,००० वर्गमील क्षेत्रफल और १० करोड़ के लगभग आबादी इस अल्पकाल ही में भारत के आन्तरिक भाग बन गए— उसी तरह, जिस तरह के अन्य राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर और काश्मीर को पृथक्-पृथक् और अन्य कितनी ही रियासतों के संघ बनाकर उन्हें 'बी' श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें आसपास के बड़े राज्यों में मिला दी गईं। परिणाम यह हुआ कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन् १९५२ का निर्वाचन समूचे देश में बालिग़ मताधिकार के आधार पर समान रूप में हुआ।

इस नवीन भारत को एकता के निर्माण में सरदार पटेल के इन २७ भाषणों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाधीनता के पहले २॥ वर्षों की भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका महत्व ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिए चिरकाल तक प्रकाश-स्तम्भ का काम देते रहेंगे।

प्रचार के उद्देश्य से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रन्थ का मूल्य बहुत कम रक्खा गया है। पुस्तक में ३५० बड़े आकार के पृष्ठों के अतिरिक्त १६ पृष्ठ सरदार पटेल के सुन्दर चित्र और नवीन भारत का एक मानचित्र भी दिया गया है।

ग्रन्थ का मूल्य ५) रु० : डाक व्यय अलग।

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फ़र्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

Regtd. No.D-28

उत्कृष्ट प्रकाशन

महात्मा गान्धी

महात्मा गान्धी की कहानी—चित्रों में

यह चित्रमय कहानी काल क्रम अनुसार है और महात्मा गान्धी के अलौकिक जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों में बँटी हुई है। यह आशा की जाती है कि इस समय तक उनके जीवन तथा कार्य-कलाप के सम्बन्ध में जो प्रचुर सामग्री एकत्र हुई है यह प्रकाशन उसका उपयुक्त चित्रमय पूरक प्रमाणित होगा।

सादा जिल्द १०) रु०

सिल्क जिल्द १५) रु०

स्वाधीनता और उसके बाद—

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

प्रधान मंत्री नेहरू के १९४६ से १९४९ तक विशेष अवसरों पर दिए गए ६० महत्वपूर्ण भाषण। स्वाधीनता, महात्मा गान्धी, साम्प्रदायिकता, काश्मीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्र मण्डल, भारत और विश्व, आदि विषयों पर। सभी दृष्टियों से संग्रहणीय और पठनीय ग्रन्थ। रु० ५)

भारत दर्शन

(चित्रों में)

भारत की कहानी दिग्दर्शित करने वाले विविध चित्रों का अनमोल संग्रह है। देश के निवासी, पशु, वनस्पति, प्राकृतिक रचना, आदि का विहंगावलोकन। भारतीय जीवन, विचारधारा, परिस्थिति, प्राकृतिक दृश्य इत्यादि, विभिन्न पहलुओं का स्थलानुरूप समावेश।

रु० ७॥)

भारतीय कला का सिंहावलोकन

मोहन्जोदरो के समय से लेकर भारत के प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक कला के ३७ रंगीन और १०० एकरंगे चित्रों का संग्रह। रु० ६॥)

भारत की एकता का निर्माण

अगस्त १९४७ से दिसम्बर १९५० तक भारत के इतिहास के तेजस्वी काल में दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के २७ महत्त्वपूर्ण भाषण जो स्वतन्त्र भारत के निर्माण का यथार्थ प्रमाण हैं, कई दुर्लभ चित्रों सहित।

रु० ५)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division. Delhi—8.